

21

जल संसाधन सम्बन्धी स्थायी समिति
(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल और स्वच्छता विभाग
अनुदानों की मांगे (2023-24)

इक्कीसवाँ प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

इक्कीसवाँ प्रतिवेदन

जल संसाधन सम्बन्धी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल और स्वच्छता विभाग

अनुदानों की मांगें (2023-24)

20.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

17.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

डब्लू. आर. सी. स. 76

मूल्य: रुपये

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवाँ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ----- द्वारा मुद्रित ।

विषय-सूची

समिति (2022-23) की संरचना	पृष्ठ (iii)
प्राक्कथन	(v)
संक्षिप्ताक्षर	(vi)

प्रतिवेदन भाग-एक वर्णनात्मक विश्लेषण

एक.	प्रस्तावना	1
दो.	अनुदानों की मांगों का विश्लेषण	2
तीन.	योजनावार विश्लेषण-	7
(क)	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	7
(i)	जेजेएम के कार्यान्वयन में चुनौतियां/बाधाएं	9
(ii)	वास्तविक कार्यनिष्पादन की तुलना में वित्तीय स्थिति	10
(iii)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वित्तीय निष्पादन	12
(iv)	संचालन और रखरखाव कार्यों के लिए प्रावधान	15
(v)	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के कवरेज की सीमा (एफएचटीसी)	17
(vi)	जेजेएम के कार्यान्वयन में व्यावहारिक मुद्दे	22
(vii)	गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति की व्यवस्था	23
(ख)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	31
(i)	एसबीएम (जी)II के कार्यान्वयन में चुनौतियां	35
(ii)	वार्षिक कार्यान्वयन योजना(एआईपी)	37
(iii)	वित्तीय निष्पादन	37
(iv)	एसबीएम (जी) II के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधियां जारी करना	39
(v)	खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ) घोषित गांव की स्थिति	41
(vi)	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में प्रगति (आईएचएचएल)	44
(vii)	शौचालयों को सिंगल पिट से ट्विन पिट में बदलना	44
(viii)	एसबीएम सुविधाओं के (एसएलडब्ल्यूएम)के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (जी)	47

(ix)	कार्यान्वयन में प्रगति की स्थिति गांवों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन	50
	भाग-दो	
	टिप्पणियाँ / सिफ़ारिशें	54
	अनुबंध	
एक.	समिति की 20.02.2023 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश	65
दो.	समिति की 14.03.2023 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश	67
तीन.	वर्ष 2020-21 के दौरान एसबीएम दो के अंतर्गत-(जी)जारी केंद्रीय सहायता अनुदान अंश	69
चार.	वर्ष 2020-21 के दौरान एसबीएम दो के अंतर्गत-(जी)जारी राज्य का अंश	70
पांच.	वर्ष 2021-22 के दौरान एसबीएमदो के अंतर्गत-(जी) जारी केंद्रीय सहायता अनुदान अंश	71
छह.	वर्ष 2021-22 के दौरान एसबीएम दो के अंतर्गत-(जी)जारी राज्य का अंश	72
सात.	वर्ष 2022-23 के दौरान एसबीएमदो के अंतर्गत-(जी) जारी केंद्रीय सहायता अनुदान अंश	73
आठ.	वर्ष 2022-23 के दौरान एसबीएम दो के अंतर्गत-(जी)जारी राज्य का अंश	74
नौ.	पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव का दिनांक 18.01.2023 का पत्र	75

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल - सभापति

लोक सभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री भागीरथ चौधरी
5. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी
6. श्री गुमान सिंह दामोर
7. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
8. डॉ. के. जयकुमार
9. श्री धनुष एम. कुमार
10. श्री सुनील कुमार
11. श्री अकबर लोन
12. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव
13. श्री हँसमुखभाई एस.पटेल
14. श्री संजय काका पाटील
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. सुश्री नुसरत जहां
17. श्रीमती अगाथा के. संगमा
18. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
19. श्री चन्दन सिंह
20. श्री डी. के. सुरेश
21. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

22. श्री एच. डी. देवेगौडा
23. श्री अनिल प्रसाद हेगडे
24. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
25. श्रीमती मौसम नूर
26. श्री शरद पवार

27. श्री वी. विजयेन्द्र प्रसाद
28. श्री अरुण सिंह
29. संत बलबीर सिंह
30. श्री प्रमोद तिवारी
31. रिक्त

सचिवालय

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. श्री चंदर मोहन | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री अजय कुमार सूद | - | निदेशक |
| 3. श्री राम लाल यादव | - | अपर निदेशक |
| 4. श्रीमति शांता बी० दत्ता | - | अवर सचिव |

प्राक्कथन

में, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंधी इक्कीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. (1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है।
3. समिति ने 20.02.2023 को जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।
4. समिति ने 14.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।
5. समिति जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के प्रतिनिधियों को विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित लिखित सामग्री प्रदान करने तथा मौखिक साक्ष्य देने के लिए धन्यवाद देती है।
6. समिति ने उससे संबंध लोक सचिवालय के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

नई दिल्ली;

14 मार्च, 2023

23 फाल्गुन, 1944 (शक)

परबतभाई सवाभाई पटेल

सभापति

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

संक्षिप्ताक्षर

एएपी	वार्षिक कार्य योजना
एईएस	तीव्र इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम
एआईपी	वार्षिक कार्यान्वयन योजना
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
बी ई	बजट अनुमान
बी पी एल	गरीबी रेखा से निचे
सीएससी	सामुदायिक स्वच्छता परिसर
सीएसआर	कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी
सीडब्ल्यूपीपी	सामुदायिक जल शोधन संयंत्र
डी डी डब्ल्यू एस	पेयजल और स्वच्छता विभाग
डी ई डब्ल्यू ए टी एस	विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली
डी एम डी एफ	जिला खनिज विकास निधि
डी पी एम यू	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां
डी पी आर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी डब्ल्यू एस एम	जिला जल और स्वच्छता मिशन
ई बी आर	अतिरिक्त बजट संसाधन
ई एफ सी	व्यय वित्त समिति
एफ एच टी सी	कार्यात्मक घरेलु नल कनेक्शन
एफ टी के	क्षेत्रीय (फील्ड) जाँच किट
जीबीएस	सकल बजटीय सहायता

गोबर-धन	गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सज-धन
जी पी	ग्राम पंचायत
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
जीडब्ल्यूएम आई ई सी	गंदला जल प्रबंधन सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई एच एच एल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
आई एम आई एस	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली
आई एस ए	कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां
जे ई	जापानी इंसेफ्लाइटिस
जे जे एम	जल जीवन मिशन
एल डब्ल्यू एम एमटी	तरल अपशिष्ट प्रबंधन मास्टर ट्रेनर्स
एम जी एन आर ई जी एस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमओईएफएंडसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एम ओ आर टी एच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एमपीलैड/एमएलएलैड	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास/विधान सभा के सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास
एम वी एस एन ए बी एल	बहु-ग्राम योजना राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एन सी ई एफ	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि
एन जी ओ	गैर सरकारी संगठन

एन एच ए आई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनजेजेएम	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
एन आई टी आई	नेशनल इंस्टीटूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एन आर डी डब्ल्यू पी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एन डब्ल्यू ई	राष्ट्रीय वाश विशेषज्ञ
एन डब्ल्यू क्यू एस एम	राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन
ओ डी एफ	खुले में शौच मुक्त
ओ एंड एम	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी एफ एम एस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पी आर आई	पंचायती राज संस्थान
पी डब्ल्यू एम यू	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट
पी डब्ल्यू एस	पाइपड जलापूर्ति
आर ई	संशोधित अनुमान
<i>आरएलबी</i>	<i>ग्रामीण स्थानीय निकायों</i>
एस ए जी वाई	संसद आदर्श ग्राम योजना
एस बी एम (जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
<i>एसएफसी</i>	<i>स्रोत निष्कर्ष समिति</i>
<i>एसएलएसएससी</i>	<i>राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति</i>
एस एल डब्ल्यू एम	ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
एस वी एस	एकल ग्राम योजना
एस डब्ल्यू एस एम	राज्य जल और स्वच्छता मिशन
एस एन ए	सिंगल नोडल एजेंसी

एस पी सी बी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एस पी ए मयू	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों
एस वी एस	एकल ग्राम योजना
एस डब्ल्यू एम	ठोस कचरा प्रबंधन
एस डब्ल्यू एस एम	राज्य जल और स्वच्छता मिशन
वीडब्ल्यूएससी	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
डब्ल्यूएसएच	जल, स्वच्छता और साफ-सफाई
डब्ल्यूक्यूएमएस	जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण

प्रतिवेदन
भाग - एक
वर्णनात्मक विश्लेषण

एक. प्रस्तावना

जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार की दो प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम - जी) और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) से संबंधित संपूर्ण नीति निर्माण, आयोजना, वित्तपोषण और समन्वयन के लिए नोडल विभाग है।

1.2 पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दोनों ही राज्य के विषय हैं। इसलिए, यह राज्य हैं जो ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना की योजना बनाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, कार्यान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। केन्द्र प्रायोजित स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छ की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

1.3 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वहनीय सेवा वितरण शुल्क पर नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जाती है, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार होता है।

1.4 खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल करने के बाद, भारत सरकार ने 19 फरवरी, 2020 को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांव बनाने पर ध्यान देते हुए वर्ष 2024-25 तक चरण - दो के रूप में एसबीएम (जी) को जारी रखने की मंजूरी दी, जिनमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिति की स्थिरता तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) शामिल है।


1.5 इस प्रतिवेदन का उद्देश्य पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाए गए अनुदानों की मांगों (संख्या 63), जिसे 9 फरवरी, 2023 को सदन में पेश किया गया था, की जांच करना है।

दो. अनुदानों की मांगों का विश्लेषण

1.6 पेयजल और स्वच्छता विभाग को वर्ष 2023-24 के लिए 77223.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों से 10001.88 करोड़ रुपये (14.88%) और वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से 17193.88 करोड़ रुपये (28.64%) अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन का योजना-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2022-23		2023-24	वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में % वृद्धि (ब.अ.)
		बजट अनुमान (ब.अ.)	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	बजट अनुमान (ब.अ.)	
1.	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	60000.00	55000.00	70000.00	16.67 %
2.	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी)	7192.00	5000.00	7192.00	0.00%
	कुल बजट (योजनाएं)	67192.00	60000.00	77192.00	14.83%
	केन्द्रीय सचिवालय का स्थापना व्यय	29.12	29.12	31.00	6.46 %
	सकल योग (योजना + सचिवालय)	67,221.12	60029.12	77,223.00	14.88 %




1.7 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संबंध में विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत आवंटन और व्यय निम्नवत है:

जल जीवन मिशन (राशि करोड़ रुपये में)


वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	पिछले वर्ष के सं.अ. की तुलना में % वृद्धि	वास्तविक व्यय
2020-2021	11,500.00	11,000.00	10%	10,999.94
2021-2022	50,011.00	45,011.00	309%	40,125.64
2022-2023	60,000.00	55,000.00	22%	34,628.52*
2023-2024	70,000.00	-	27%	-

* 13.02.2023 की स्थिति के अनुसार



स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	उपयोग
2020-21	9994.10	6000.00	4947.92
2021-22	9994.10	6000.00	3111.37
2022-23(09.02.2023 तक)	7192.00	5000.00	2876.72



1.8 विगत चार वर्षों के दौरान देश के पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"जेजेएम के तहत वास्तविक प्रगति का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(संख्या करोड़ में)

वर्ष	योजनागत संचयी पारिवारिक कवरेज (% में)	संचयी उपलब्धियां
15.08.2019	17	-
31.03.2020	21	20.98%
31.03.2021	34	37.65%
31.03.2022	54	48.39%

वर्ष	योजनागत संचयी पारिवारिक कवरेज (% में)	संचयी उपलब्धियां
31.03.2023	74	*57.51%
31.03.2024	90	-
31.12.2024	100	-

* 13.02.2023 की स्थिति के अनुसार

बहु ग्राम योजनाओं की लंबी अवधि, जल गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्रोत, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 महामारी और इससे संबंधित आवागमन संबंधी प्रतिबंधों आदि ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।

एसबीएम (जी) ग्रामीण समुदायों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके देश को ओडीएफ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, मात्रात्मक लक्ष्य शौचालय सुविधा से वंचित परिवारों के लिए आईएचएचएल और ऐसे परिवार जिनके पास शौचालय के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, प्रवासी और फ्लोटिंग आबादी और लोगों की भीड़ वाले स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण करना था, ताकि सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। गुणात्मक संकेतक मलीय सामग्री के सुरक्षित निपटान और लोगों द्वारा शौचालयों के उपयोग के माध्यम से मल मौखिक संचरण की समाप्ति के जरिए ओडीएफ हासिल कर रहा था।

एसबीएम (जी) के चरण-दो के तहत, जिसे वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कार्यान्वित किया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिरता और एसएलडब्ल्यूएम पर केंद्रित है अर्थात् गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए, मात्रात्मक संकेतक है मांग के अनुसार आईएचएचएल और सीएससी के निर्माण के अलावा गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना। इसके साथ ही, गुणात्मक संकेतक गांवों की ओडीएफ प्लस स्थिति हासिल कर रहा है।

एसबीएम (जी) के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) के रूप में विभिन्न मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतकों के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। पिछले 5 वर्षों के लिए आईएचएचएल और सीएससी के ब्यौरे तथा पिछले 3 वर्षों के एसएलडब्ल्यूएम और ओडीएफ प्लस गांवों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	निर्मित आईएचएचएल की संख्या	सीएससी		
		लक्ष्य	सूचित प्रगति	उपलब्धि का %
2018-19	2,35,15,140	68,625	12,344	17.99
2019-20	1,18,94,031	87,977	51,224	58.22
2020-21	47,43,410	1,31,782	1,00,704	76.42
2021-22	22,57,264	1,03,136	33,497	32.48
2022-23 (9.2.2023 तक)	19,13,047	75,713	14,715	19.44

*आईएचएचएल के निर्माण के लिए मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसलिए,आईएचएचएल के लिए कोई निश्चित वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, एसबीएम (जी)चरण - दो के तहत, प्रति वर्ष 30 लाख नए आईएचएचएल की मांग अनुमानित है।

वर्ष	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से कवर किए गए गांवों की संख्या			तरल अपशिष्ट प्रबंधन से कवर किए गए गांवों की संख्या		
	एआईपी में योजनाबद्ध	उपलब्धि	उपलब्धि %	एआईपी में योजनाबद्ध	उपलब्धि	उपलब्धि %
2020-21	1,30,514	1,128	0.86	1,31,381	1,128	0.86
2021-22	2,07,945	58,837	28.29	1,82,517	35,718	19.57
2022-23	2,02,021	80,248	39.72	1,94,064	113,261	58.36
कुल		1,40,213			1,50,107	

वर्ष	ओडीएफ प्लस घोषित गांवों की संख्या		
	एआईपी में योजनाबद्ध	उपलब्धि	उपलब्धि %
21-2020	93,744	1,117	1.19
22-2021	1,76,675	46,381	26.25
23-2022	1,59,814	1,48,149	92.70
कुल		1,95,647	

राज्यों द्वारा एआईपी में उल्लिखित लक्ष्य केवल अनुमान पर आधारित हैं, जबकि आईएचएचएल के संबंध में वास्तविक प्रगति उस वित्त वर्ष के दौरान आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि की मांग करने वाले परिवारों की वास्तविक संख्या पर आधारित थी, और सीएससी का निर्माण इसका प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) सुनिश्चित करने के बाद ही ग्राम पंचायत द्वारा महसूस की गई वास्तविक आवश्यकता पर आधारित था। एसएलडब्ल्यूएम कार्यों के तहत

प्रगति धीमी थी क्योंकि प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुख्य ध्यान योजना पर था और साथ ही प्रारंभिक चरण में तकनीकी जानकारी की कमी थी। वर्ष 2020 और 2021 के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की गति को धीमा कर दिया था। अब, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति हासिल करनी शुरू कर दी है।

तीन. योजना-वार विश्लेषण

1.9 जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रमुख योजनाओं को पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, इस पर अनुवर्ती पैराओं में विस्तार से चर्चा की जा रही है।

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम)

1.10 जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा अगस्त, 2019 में की गई थी और इसे 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है।

1.11 जेजेएम के तहत, केवल जल आपूर्ति 'बुनियादी ढांचे के विकास' के बजाय 'सेवा वितरण' पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो इसे पहले के कार्यक्रमों से अलग बनाता है। इसे देखते हुए जेजेएम को मांग आधारित, विकेंद्रीकृत, समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है।

1.12 जल जीवन मिशन के व्यापक उद्देश्य हैं:

- (एक) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना;
- (दो) गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों, आकांक्षी जिलों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों, आदि में नल के पानी के कनेक्शन के प्रावधान को प्राथमिकता देना;
- (तीन) विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों और सामुदायिक भवनों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना;
- (चार) नल कनेक्शनों की कार्यक्षमता की निगरानी करना;
- (पांच) नकद, वस्तु और/या श्रम और स्वैच्छिक श्रम (श्रमदान) में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना;
- (छह) नियमित ओ एंड एम के लिए जल आपूर्ति प्रणाली, यानी जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना और निधियों की स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता करना;
- (सात) इस क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त और विकसित करना ताकि निर्माण, प्लंबिंग, बिजली, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल उपचार, जलग्रहण संरक्षण, ओ एंड एम, आदि की मांगों को कम और लंबी अवधि में ध्यान रखा जा सके; और
- (आठ) सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं और महत्व के बारे में जागरूकता लाना और हितधारकों की भागीदारी इस तरह से करना कि पानी हर किसी की प्राथमिकता हो जाए।

1.13 जेजेएम के अंतर्गत, जल जीवन मिशन में 'हर घर जल' के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं:

- (i) गांव में पाइपगत जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे का विकास।
- (ii) विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और मौजूदा स्रोतों का संवर्धन।
- (iii) बड़ी मात्रा में जल अंतरण, उपचार संयंत्र और वितरण नेटवर्क।
- (iv) संदूषकों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप।
- (v) पूरी हो चुकी और चालू योजनाओं का पुनरावलोकन।
- (vi) अन्य योजनाओं से संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से ग्रेवाटर प्रबंधन।
- (vii) क्षमता निर्माण, कौशल आदि जैसी गतिविधियों का समर्थन करना।
- (viii) जल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख गतिविधियां-; और
- (ix) प्राकृतिक आपदाओं/उत्पन्न होने वाली कोई अन्य अप्रत्याशित विपत्तियों के का/मुद्दे/चुनौतियां

1.14 जल क्षेत्र की योजनाओं के सतत कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई नीति का विवरण देते हुए विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण राज्य ही ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेजेएम के त्वरित और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभिन्न स्तरों पर चार स्तरीय संस्थागत तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम), राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) और ग्राम स्तर पर गांव जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह जैसी इसकी उप-समिति की स्थापना की गई है।

योजनाओं के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर), जल स्रोत की पर्याप्तता और स्थिरता के पहलू के संबंध में स्रोत निष्कर्ष समिति (एसएफसी) की सिफारिशों और एनजेजेएम से प्राप्त जानकारियों के आधार पर राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा राज्य स्तर पर पाइपगत जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) स्कीमों का अनुमोदन किया जाता है। जेजेएम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का तृतीय पक्षकार निरीक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि किए गए कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

एक बार जब किसी गांव में 100% कवरेज की सूचना मिल जाती है, तो इस उद्देश्य के लिए आयोजित ग्राम सभा के माध्यम से गांव का हर घर जल प्रमाणीकरण किया जाता है। इसके बाद

ग्राम सभा की कार्यवाही का एक प्रस्ताव और वीडियो जेजेएम-आईएमआईएस पर अपलोड किया जाता है ताकि गांव को "हर घर जल" घोषित किया जा सके।

इसके अलावा, जेजेएम के सहायता निधि घटक के अंतर्गत, राज्य को वार्षिक आबंटन का 5% तक अन्य बातों के साथ-साथ आईईसी गतिविधियों, सामुदायिक लामबंदी, राजमिस्त्रियों, प्लंबरों, इलेक्ट्रीशियनों, मोटर मैकेनिकों, फिटरों आदि के कौशल विकास के लिए निर्धारित किया जाता है ताकि कार्यान्वयन के साथ-साथ संचालन और कुशल रख-रखाव के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध हो सके।

जल आपूर्ति योजनाओं के सतत संचालन एवं अनुरक्षण के लिए जेजेएम के अंतर्गत योजना के चालू होने के पश्चात् समुदाय को योजना शुरू होने के पश्चात उनके संबंधित गांव जल आपूर्ति योजना के संबंध में पूंजीगत व्यय के 10% के समतुल्य राशि से चरणबद्ध तरीके से पुरस्कृत/प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना के संचालन और रख-रखाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए एक 'चक्रीय निधि' के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति को विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त करने के लिए एक खाता खोलना आवश्यक है। ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय संसाधनों और तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता से ग्राम पंचायतें पेयजल आपूर्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उपयोगिता के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगी।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को सशर्त अनुदानों का आबंटन किया है जिससे नियमित संचालन और रख-रखाव में मदद मिलेगी।"

(i) जेजेएम के कार्यान्वयन में चुनौतियां/बाधाएं

1.15 विशिष्ट चुनौतियाँ/बाधाएं जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को धीमा कर रही हैं, के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“राष्ट्रव्यापी कोविड 19-महामारी और इससे संबंधित आवागमन संबंधी प्रतिबंधों के अलावा राज्य , सरकारों ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ- असमान भौगोलिक भू-बिखरी हुई ग्रामीण ,भागबसावटों/अन्य स्वीकृतियां /सांविधिक ,प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों , जिससे कार्यक्रम के ,प्राप्त करने में देरी आदि जैसी बाधाओं का संकेत दिया है अंतर्गत कार्यान्वयन और निधि उपयोग में देरी हो रही है।

केंद्रीय निधियों की उपलब्धता कोई बाधा नहीं है। तथापि, राज्यी के समान अंश को जारी करने में विलंब से निधियों के उपयोग में देरी होती है। ”

1.16 आगे चुनौतियों/बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“चुनौतियों का समग्र रूप से समाधान करने और इन पर काबू पाने के लिए, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं:

एक) सांविधिक/अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में राज्यों की सुविधा के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे मंत्रालय आदि के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन। इसके अलावा, सचिव, डीडीडब्ल्यूएस द्वारा इन केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं।

दो) वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता क्रियान्वयन जिसमें पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम जेजेएम के लिए राज्य का समान हिस्सा प्रदान किया जा सके।

तीन) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निधि जारी करने से संबंधित शर्तों को पूरा करते ही केंद्रीय निधियां शीघ्रतापूर्वक जारी की जा रही हैं।

चार) कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए एचआर के तकनीकी कौशल सेटों की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना की गई है।

पांच) समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए जल संबंधी क्षेत्र में कार्य करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों का एक नेटवर्क है, ग्रामीण वॉश पार्टनर फोरम की स्थापना की गई है।

कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने और राज्यों तथा जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम – जल जीवन सर्वेक्षण 2023 शुरू किया गया है।

(ii) वास्तविक कार्यनिष्पादन की तुलना में वित्तीय स्थिति

1.17 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जेजेएम के तहत 70,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। जो 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में 10000 करोड़ रुपये (16.66%) और 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 15000 करोड़ रुपये (27.27%) अधिक है।

1.18 पिछले पांच वर्षों के दौरान जेजेएम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में निर्धारित, आवंटित/जारी की गई राशि, किए गए व्यय और उपलब्धि निम्नवत हैं :

करोड़ रुपए में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी	वास्तविक व्यय	लक्ष्य (बसावटों की)	उपलब्धियां (बसावटों की)
------	------------	----------------	------	---------------	---------------------	-------------------------

	(बी ई)	(बी ई)			संख्या)	संख्या)
2018-19	7,000.00	5,500.00	5,466.24	5,484.34	61,273	67,804
					नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने वाले घरों की संख्या *	
2019-20	10000.66	10,000.66	9,951.81	10,000.44	82.62 लाख	
2020-21	11500.00	11,000.00	10,917.86	10,999.94	322.61 लाख	
2021-22	50011.00	45,011.00	40,009.77	40,030.81	196.72 लाख	
2022-23	60000.00	55,000.00	30,610.97	30,644.97	171.35 लाख	
2023-24	70,000.00		--	--	--	

* जेजेएम शुरू किया गया और लक्ष्यों को बसावटों से पारिवारिक नल कनेक्शनों में अंतरित कर दिया गया है।

1.19 जब वर्ष 2022-23 में आवंटित और जारी की गई राशि में भारी अंतर के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नवत सूचित किया:

“ दिनांक 13.02.2023 तक, वर्ष 2022-23 में 55,000 करोड़ रुपये में से 34,628.52 करोड़ रुपये (63%) की राशि का उपयोग पात्र राज्यों को जारी करके कर लिया गया है। यह विभाग निधियों की वह पूर्ण राशि जारी करने में समर्थ होगा जिसके लिए राज्या/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2022-23 में पात्र होंगे।”

1.20 यह पूछे जाने पर कि क्या वर्तमान आवंटन वित्तीय वर्ष **2023-24** के दौरान विभाग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, विभाग ने बताया कि **87,525.70** करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की मांग के मुकाबले, **2023-24** के लिए बजट अनुमान स्तर पर जेजेएम के तहत **70,000** करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

1.21 पिछले वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय की राशि को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त वर्ष **2023-24** में बजट अनुमान आवंटन में वृद्धि के औचित्य के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। इसका उत्तर देते हुए, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

(एक)“इस कार्यक्रम के तहत लगभग सभी कार्य अनुमोदित और प्रदान किए जा चुके हैं। कार्यान्वयन की गति में भी काफी वृद्धि हुई है। प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे एफएचटीसी की औसत संख्या अप्रैल 2022 में 14,726 कनेक्शनों से बढ़कर जनवरी 2023 में 75,494 हो गई है। राज्यों की

निधि को खपाने की क्षमता में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित वास्तविक व्यय (13.02.2023 तक 58,984.58 करोड़ रुपये) 2021-22 के पूर्ण वर्ष में कुल व्यय की सीमा को पहले ही पार कर चुका है। कार्यान्वयन की गति में और भी सुधार होने की संभावना है।

(दो) बहु-गांव पाइपगत जल आपूर्ति योजनाओं (एमवीएस) की अवधि लंबी होती है। एमवीएस की प्रगति पर प्रारंभिक वर्षों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तथापि, अब सुचारु क्रियान्वयन से संबंधित सभी बाधाओं का निराकरण किया जा चुका है और वर्ष 2023-24 में कुल 43,321 एमवीएस के पूर्ण होने की संभावना दिखाई देती है।

(तीन) सुचारु और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता एक पूर्व शर्त है। इसलिए जेजेएम के लिए बढ़ाए गए आबंटन न केवल न्यायसंगत हैं बल्कि आवश्यक ही हैं।”

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वित्तीय निष्पादन

1.22 समिति को यह बताया गया कि मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र और राज्य के शेयर क्रमशः 2.08 लाख करोड़ रुपये और 1.52 लाख करोड़ रुपये हैं। जेजेएम के लिए केंद्रीय सहायता के दो स्रोत हैं: सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर)। केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच फंड-शेयरिंग पैटर्न विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, हिमालयी, पूर्वोत्तर-राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 50:50 है। इसके अतिरिक्त, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित ऐसी निधियों के 5% और 2% तक क्रमशः सहायता कार्यक्रमों और जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) कार्यक्रमों के लिए प्रावधान किया गया है।

1.23 विभाग ने अपने लिखित उत्तर में आगे बताया कि निधियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए पंचायती राज संस्थाओं/आरएलबी, जेजेएम, एमजीएनआरईजीएस, एसबीएम, जिला खनिज विकास निधि (डीएमडीएफ), सीएसआर निधियों आदि को 15वें वित्त आयोग (एफसी) से संबद्ध अनुदान जैसे सभी संभावित वित्तपोषण स्रोतों के साथ ग्राम स्तर पर वित्तीय अभिसरण किया जाना है। जेजेएम, एसबीएम (जी) आदि जैसी योजनाओं के साथ 15वें एफसी से सशर्त अनुदान के अभिसरण से जल और स्वच्छता गतिविधियों के लिए आरएलबी के लिए धन में वृद्धि होगी और गुणवत्ता, मात्रा और स्थिरता के संदर्भ में संसाधन उपलब्धता में वृद्धि होगी।

1.24 वर्ष 2022-23 के दौरान (13.02.2023 की स्थिति के अनुसार) धन आबंटन, जारी की गई धनराशि और उसके उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा				राज्य के हिस्से के तहत व्यय	केंद्रीय आबंटन के उपयोग का %
		अथशेष	आबंटन	रिलीज	उपयोग		
1.	मिजोरम	80.08	333.91	250.44	229.89	24.55	75.00%

2.	त्रिपुरा	175.78	666.97	500.23	636.20	60.43	75.00%
3.	छत्तीसगढ़	147.06	2,223.98	1,667.99	1,055.88	1,044.28	75.00%
4.	मेघालय	420.52	747.76	560.82	843.94	94.33	75.00%
5.	गुजरात	583.39	3,590.16	2,692.62	2,444.65	2,568.92	75.00%
6.	नागालैंड	17.00	484.28	363.21	377.92	39.26	75.00%
7.	हिमाचल प्रदेश	818.27	1,344.94	1,008.70	1,216.66	134.65	75.00%
8.	अरुणाचल प्रदेश	451.21	1,116.35	558.18	736.56	83.12	50.00%
9.	असम	1,819.21	6,117.61	3,058.81	2,977.15	324.39	50.00%
10.	झारखंड	199.83	2,825.52	1,412.76	811.09	902.18	50.00%
11.	केरल	436.08	2,206.54	1,103.27	1,164.89	1,158.70	50.00%
12.	मध्य प्रदेश	1,766.42	5,641.02	2,820.51	2,535.63	2,521.66	50.00%
13.	उत्तराखंड	596.09	1,612.50	806.25	950.65	100.54	50.00%
14.	उत्तर प्रदेश	2,971.74	12,662.05	6,331.02	7,080.39	6,752.82	50.00%
15.	सिक्किम	112.90	136.17	68.08	175.50	15.16	50.00%
16.	पश्चिम बंगाल	614.67	6,180.25	1,545.06	1,411.28	2,035.99	25.00%
17.	कर्नाटक	1,263.00	5,451.85	1,362.96	1,005.33	1,120.79	25.00%
18.	मणिपुर	142.03	512.05	128.01	213.25	22.81	25.00%
19.	लद्दाख	262.25	1,555.77	382.76	222.99	एनआर	24.60%
20.	ओडिशा	1,197.29	3,608.62	866.57	1,214.27	1,193.52	24.01%
21.	तमिलनाडु	534.29	4,015.00	872.96	295.09	354.21	21.74%
22.	महाराष्ट्र	1,557.65	7,831.25	1,701.11	1,542.96	1,631.84	21.72%
23.	राजस्थान	1,288.46	13,328.60	2,749.65	2,841.28	2,405.19	20.63%
24.	हरियाणा	157.47	1,157.44	231.50	286.49	279.63	20.00%
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.53	9.15	एनडी	0.60	एनआर	0.00%
26.	आंध्र प्रदेश	702.95	3,458.20	एनडी	300.23	93.93	0.00%
27.	बिहार	54.95	4,766.90	एनडी	एनआर	35.02	0.00%
28.	गोवा	11.95	49.98	एनडी	11.04	11.84	0.00%
29.	जम्मू और कश्मीर	605.71	3,039.11	एनडी	465.02	54.61	0.00%
30.	लक्षद्वीप	0.00	36.99	एनडी	एनआर	एनआर	0.00%
31.	पुदुचेरी	6.34	17.83	एनडी	0.18	0.15	0.00%
32.	पंजाब	264.78	2,403.46	एनडी	213.74	116.85	0.00%
33.	तेलंगाना	37.44	1,657.56	एनडी	11.38	13.52	0.00%

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एनडी : आहरित नहीं एनआर: संसूचित नहीं

1.25 जेजेएम के तहत पिछले चार वर्षों (वर्ष वार) के दौरान और आज की तारीख में आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई केंद्रीय और राज्य निधि की राशि इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट	राज्यों द्वारा आहरित निधि	राज्यों द्वारा सूचित केंद्रीय निधि उपयोग	राज्य के हिस्से के बराबर राज्य व्यय
------	-----	---------------------------	--	-------------------------------------

2019-20	10,000.66	9,951.81	5,998.99	4,066.88
2020-21	11,000.00	10,917.86	12,542.03	7,803.36
2021-22	45,011.00	40,009.77	25,524.36	18,679.87
2022-23	55,000.00	34,626.52	33,272.13	25,194.89

1.26 राज्यों द्वारा निधियों के राज्य हिस्से को समय पर जारी करने के मुद्दों, जिसे जेजेएम योजनाओं की धीमी प्रगति के प्रमुख कारणों में से एक बताया गया है, और इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग द्वारा निम्नवत लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया था:

“आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जेजेएम के तहत 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अपना समान राज्य हिस्सा जारी कर दिया है।

संबंधित राज्यों के लिए वार्षिक आबंटनकी सूचना देते समय, राज्यों को यह सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय वर्ष के दौरान संपूर्ण निधि आबंटन का लाभ उठाने के लिए अपने बजट में निधियन पद्धति के अनुसार राज्य के समतुल्य हिस्से के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करें। इसके अलावा, राज्य के हिस्से की निधियां समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए, यह आबंटन दो समान किस्तों में जारी किया जा रहा है और प्रत्येक किस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य के हिस्से के बराबर धनराशि सहित निधि के उपयोग का आकलन करने के बाद दो किस्तों में जारी की जाती है। ”

1.27 यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जेजेएम के विभिन्न घटकों के लिए अपने हिस्से की धनराशि की व्यवस्था करने और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता में किसी वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा है, या पड़ रहा है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“जैसा कि विभिन्न समीक्षा बैठकों में राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, उन्हें विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और संबंधित लॉकडाउन के दौरान राज्यों के समान हिस्से की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राज्यों के समक्ष आ रही कठिनाइयों का समाधान करने और उनकी सहायता करने के लिए भारत सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता कार्यान्वित कर रही है जिसमें केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम जेजेएम के लिए समान राज्य-हिस्सा प्रदान करने के लिए राज्यों के लिए पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता को बढ़ाया गया है। 31.03.2022 तक जेजेएम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश को छोड़कर, ने राज्य का अपना समान हिस्सा जारी कर दिया है।”

1.28 20 फरवरी, 2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान यह पूछे जाने पर कि इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली परिशुद्ध ऋण राशि कितनी है, इसे राज्य के हिस्से के अनुकूल बनाते हुए यदि कोई हो, योजना का लाभ उठाने के लिए कोई रोडमैप निर्धारित किया गया है और अब

तक कितने राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“राज्य के समान हिस्से की व्यवस्था के संबंध में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए, वित्त मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता लागू कर रहा है, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपये वर्ष 2022-23 में जेजेएम के तहत कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। व्यय विभाग इस मामले में नोडल एजेंसी होने के नाते, राज्य उन्हें अपेक्षित प्रस्ताव सीधे ही प्रस्तुत करते हैं और इसलिए इस विभाग में योजना के अंतर्गत निधि के उपयोग से संबंधित कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। यह विभाग, व्यय विभाग से सूचना एकत्र करेगा और यथासमय समिति को उपलब्ध कराएगा।”

(iv) संचालन और रखरखाव कार्यों के लिए प्रावधान

1.29 जब जेजेएम के तहत ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा उपलब्ध निधियों के उपयोग के बारे में पूछताछ की गई, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत बताया:

“जल जीवन मिशन के अंतर्गत, नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों को निधियां जारी की जाती हैं। तत्पश्चात, ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि को जल आपूर्ति अवसंरचना का प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करना होगा। संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के लिए जेजेएम संबंधी निधियां प्रदान नहीं की जाती हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतों अथवा इसकी उप-समितियों को उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित करना होता है तथा दूसरे साधनों से उपलब्ध निधियों के उपयोग की योजना बनानी होती है।

इसके अलावा, जल और स्वच्छता सेवा वितरण के लिए पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु 15वें वित्त आयोग ने जल आपूर्ति और स्वच्छता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में अभिज्ञात किया है और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आरएलबी/पीआरआई के वास्ते 2.36 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश की, जिसमें से 60% सशर्त अनुदान का उपयोग निम्न के लिए किया जाना है:

- i.) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण; और
- ii.) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति केबनाए रखना।

इस प्रकार, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए, 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आरएलबी/पीआरआई को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.42 लाख करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। गांवों में बुनियादी जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए इतनी बड़ी राशि निर्धारित करना ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित जल आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील कदम है। आरएलबी को इनमें से प्रत्येक घटक के लिए सशर्त अनुदान निर्धारित करना होता है। तथापि, यदि कोई ग्राम पंचायत एक श्रेणी

की आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतृप्त कर चुकी हो तो वह विशेष ग्राम पंचायत निधियों का उपयोग दूसरी श्रेणी के लिए कर सकती है। वर्ष 2020-21 में, जल और स्वच्छता के लिए 60,750 करोड़ रुपये की 50% अर्थात् 30,375 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। तथापि, वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले अगले पांच वर्षों के लिए, जल और स्वच्छता के लिए वित्त आयोग के अनुदानों की 60% राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

(राशि करोड़ रुपए में)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
सशर्त अनुदान	26,940.60	27,907.80	28,210.80	29,880	29,143.80	1,42,083

पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जिसे जेजेएम के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, मेंदूरस्थ, छोटी बसावटों और अनियमित विद्युत आपूर्ति वाले क्षेत्रों के लिए दोहरे विद्युत वाले सौर पंपों की संस्थापना के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से वित्तपोषण का प्रावधान किया गया था।"

1.30 जल आपूर्ति अवसंरचना के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों की स्वीकार्यता के मुद्दे पर विचार करते हुए विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"जल आपूर्ति योजनाओं के सतत्संचालन एवं अनुरक्षण के लिए जेजेएम के अंतर्गत योजना के चालू होने के पश्चात् समुदाय को योजना शुरू होने के पश्चात उनके संबंधित गांव जल आपूर्तियोजना के संबंध में पूंजीगत व्यय के 10% के समतुल्य राशि से चरणबद्ध तरीके से पुरस्कृत/प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना के संचालन और रख-रखाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए एक 'चक्रीय निधि' के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को सशर्त अनुदानों का आबंटन किया है जिससे नियमित संचालन और रख-रखाव में मदद मिलेगी।"

1.31 20 फरवरी, 2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान पाइप से जल आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे के पूरे होने के पश्चात् परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के मुद्दे पर, समिति को बताया गया कि कुछ स्थानों पर, ग्राम पंचायतें इन परिसंपत्तियों को लेने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि एकल ग्राम प्रणाली के हस्तांतरण, संचालन और रखरखाव और उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के लिए कोई स्पष्ट तंत्र आदि निर्दिष्ट नहीं है। जब इन पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए कहा गया, तो विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"परिकल्पना की जाती है कि योजनाओं को ग्रामीण जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव तथा स्थिरता के लिए पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। ग्राम पंचायत

और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि उपयोगकर्ता शुल्कों और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सशर्त अनुदानों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के माध्यम से गांव स्तर पर जल संबंधी कार्यकलापों के संबंध में ओ एंड एम व्यय और 10,000/- रुपये प्रति माह तक के छुट-पुट व्यय को पूरा कर सकते हैं।


इसके अतिरिक्त, जल राज्य का विषय होने के कारण राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जल आपूर्ति स्कीमों के दीर्घावधि संचालन एवं प्रबंधन के लिए ऊर्जा लागत, निवारक अनुरक्षण, टूट-फूट अनुरक्षण, कौशल, स्टाफ को भुगतान, वित्तपोषण के स्रोत आदि घटकों सहित एक व्यापक संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) नीति तैयार करें।”

(v). ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के कवरेज की सीमा

1.32 विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 11.02 करोड़ (57%) ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में पीने योग्य नल जल की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त हो रही है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है तथा 'जीवन आसान' हो रहा है।

नल जल आपूर्ति - राज्यवार स्थिति

Tap water supply - State wise status



1.33 स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज के संबंध में, समिति को बताया गया है कि 9.02 लाख (87.46%) स्कूलों को नल जल उपलब्ध कराया गया है, जबकि 9.24 लाख (82.63%) आंगनवाड़ी केंद्रों को नल से जल की आपूर्ति की गई है।

1.34 समिति के समक्ष 20 फरवरी, 2023 को दिए गए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान विभाग द्वारा कल्पना की गई वर्तमान प्रमाणन स्थिति निम्नानुसार है:

हर घर जल* स्थिति

प्रमाणित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र: गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुदुचेरी, डीएंडएनएच और डीएनडी, हरियाणा

रिपोर्ट किए गए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र: तेलंगाना, गुजरात

जिले		ब्लॉक		पंचायत		गाँव	
रिपोर्ट किए गए	प्रमाणित किए गए						
123	56	1321	414	73522	33747	153062	48525

* हर घर जल का अर्थ है कि इकाई के सभी घरों में नल से जल की आपूर्ति की जाती है

1.35 समिति को बताया गया है कि जेजेएम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा वितरण मानदंडों का अनुपालन करता है। एक नल कनेक्शन को एफएचटीसी तभी माना जाता है जब उक्त सेवा वितरण मानदंडों को सुनिश्चित किया गया हो। इसलिए, अस्थायी कनेक्शनों की जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। एफएचटीसी के माध्यम से परिवारों की कवरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वितरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिवार (लाख में)	नल कनेक्शन	जल वाले	नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए
1.	गोवा	2.63	2.63	100.00	100.00
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.62	0.62	100.00	100.00
3.	दादरा एवं नगर हवेली और	0.85	0.85	100.00	100.00
4.	हरियाणा	30.41	30.41	100.00	100.00
5.	गुजरात	91.18	91.18	100.00	100.00
6.	पुदुचेरी	1.15	1.15	100.00	100.00
7.	तेलंगाना	53.98	53.98	100.00	100.00
8.	पंजाब	34.26	34.24	99.96	99.96
9.	हिमाचल प्रदेश	17.09	16.70	97.75	97.75
10.	बिहार	1,66.30	1,59.00	95.61	95.61
11.	मणिपुर	1.32	1.05	79.36	79.36
12.	मिजोरम	4.52	3.43	75.93	75.93
13.	लद्दाख	1.33	0.99	74.63	74.63
14.	उत्तराखंड	1,46.73	1,07.05	72.95	72.95
15.	अरुणाचल प्रदेश	14.94	10.89	72.85	72.85
16.	महाराष्ट्र	0.43	0.31	71.82	71.82
17.	नागालैंड	2.22	1.57	70.81	70.81
18.	त्रिपुरा	95.18	65.62	68.95	68.95
19.	सिक्किम	1,01.18	62.75	62.02	62.02
20.	ओडिशा	3.66	2.21	60.32	60.32
21.	आंध्र प्रदेश	1,25.51	74.89	59.67	59.67

22.	तमिलनाडु	7.42	4.36	58.80
23.	कर्नाटक	88.56	50.66	57.20
24.	मेघालय	18.68	10.63	56.90
25.	असम	1,19.90	56.50	47.12
26.	मध्य प्रदेश	70.70	32.62	46.14
27.	जम्मू और कश्मीर	6.35	2.89	45.45
28.	छत्तीसगढ़	67.23	29.09	43.27
29.	केरल	50.08	19.44	38.81
30.	पश्चिम बंगाल	1,07.65	34.00	31.58
31.	उत्तर प्रदेश	61.19	18.68	30.53
32.	झारखंड	1,82.77	55.38	30.30
33.	राजस्थान	2,62.80	79.40	30.21
34.	लक्षद्वीप	0.13	-	-
	कल	19,38.95	11,15.15	57.51

स्रोत :जेजेएम-आईएमआईएस

1.36 जेजेएम के तहत कार्य की धीमी प्रगति के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

“बहु ग्राम योजनाओं की लंबी अवधि, जल गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्रोत, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 महामारी और इससे संबंधित आवागमन संबंधी प्रतिबंधों आदि ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।”

1.37 जेजेएम के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए रोडमैप का विवरण उपलब्ध कराने हेतु कहे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

“जेजेएम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्ष-वार रिपोर्ट की गई समय-सीमा निम्नानुसार है:

परिसमापन वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
2020	गोवा
2021	हरियाणा, पुडुचेरी, तेलंगाना दादरा नगर हवेली और दमन दीव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;
2022	बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम और उत्तराखंड;;
2023	अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा;
2024	असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

1.38 हालांकि, समिति को बताया गया है कि 13 लक्षित राज्यों में, 95% से अधिक घरों में अभी तक कार्यात्मक नल जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है। 13 लक्षित राज्यों में जेजेएम के कार्यान्वयन

में आने वाली विशिष्ट बाधाएं/समस्याएं और इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

13 लक्षित राज्यों के लिए राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(संख्या लाख में)

राज्य	ग्रामीण परिवारों कुल संख्या	15.08.2019 तक नल जल के कनेक्शन वाले परिवार	अगस्त, 2019 से प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन	13.02.2023 तक नल जल कनेक्शन वाले परिवार	नल जल उपलब्ध कराए जाने वाले शेष परिवार
आंध्र प्रदेश	95.18	30.74	34.88	65.62	29.56
असम	67.23	1.11	27.98	29.09	38.14
छत्तीसगढ़	50.08	3.20	16.24	19.44	30.65
झारखंड	61.19	3.45	15.23	18.68	42.51
कर्नाटक	1,01.18	24.51	38.23	62.75	38.43
केरल	70.70	16.64	15.98	32.62	38.08
मध्य प्रदेश	1,19.90	13.53	42.97	56.50	63.40
महाराष्ट्र	1,46.73	48.44	58.61	1,07.05	39.69
ओडिशा	88.56	3.11	47.55	50.66	37.90
राजस्थान	1,07.65	11.74	22.25	34.00	73.66
तमिलनाडु	1,25.51	21.76	53.13	74.89	50.62
उत्तर प्रदेश	2,62.80	5.16	74.23	79.40	1,83.41
पश्चिम बंगाल	1,82.77	2.15	53.23	55.38	1,27.38
कुल	14,79.48	1,85.55	500.52	6,86.06	7,93.42

देश भर के कुल ग्रामीण परिवारों में से 76 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार केवल इन 13 प्रमुख राज्यों में फैले हुए हैं। इसके अलावा, बहु ग्राम योजनाओं की लंबी अवधि, भूजल में प्रदूषकों की उपस्थिति, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भरोसेमंद भूजल स्रोतों की कमी, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में इलाके की चुनौतियाँ, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 महामारी, संबद्ध लॉकडाउन, आदि ने इन राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को धीमा कर दिया है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

- जल-संकटग्रस्त और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जल अंतरण/शोधन संयंत्र;
- शोधित भूजल आधारित और सतही जल आधारित परियोजनाओं का मिश्रण;
- मौजूदा पाइपगत जल आपूर्ति (पीडब्ल्यूएस) अवसंरचना की रेट्रोफिटिंग और उसमें सुधार;
- तटीय क्षेत्रों/उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्र जैसे तकनीकी समाधान,

- v.) ऊर्जा शुल्क को कम करने के लिए सौर पंप जैसे विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को प्रोत्साहित करना;
- Vlvi.) निष्पादन एजेंसियों/ग्राम पंचायत और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम; और परियोजना प्रबंधन इकाइयों सहित विभिन्न स्तरों पर प्रोफेशनल जनशक्ति वृद्धि का प्रावधान।”

1.39 लिखित उत्तर में, विभाग ने आगे बताया कि 95% से अधिक शेष घरों की 13 लक्षित राज्यों में जेजेएम के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर सचिव, पेयजल और स्वच्छता की अध्यक्षता में की जाती है। साथ ही, कैबिनेट सचिव ने दिनांक 15.07.2022 को 13 लक्षित राज्यों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

1.40 इन राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 13 राज्यों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

“केंद्र और राज्यों दोनों के ठोस प्रयासों के साथ, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समितियों ने मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में लगभग 50 लाख ग्रामीण परिवारों को छोड़कर शेष सभी परिवारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियोजित योजनाओं/परियोजनाओं के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे दिनांक 31.03.2023 तक नल जल के कनेक्शन प्रावधान संबंधी शेष कार्य को सौंप दें।”

1.41 लक्षित अवधि के भीतर इन राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा दी गई सहायता के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“पूरे देश में जेजेएम के लक्ष्य को गति और स्तर के साथ प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कई कदमों के माध्यम से मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्यों की मदद कर रही है, जिसमें संयुक्त चर्चा और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिवों, सचिव और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वीडियो कान्फ्रेंसों सहित उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और क्षेत्र दौरे किए जाते हैं जिसमें राज्यों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।”

(vi) जेजेएम के कार्यान्वयन में व्यावहारिक मुद्दे

1.42 यह पूछे जाने पर कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर समय-समय पर प्राप्त उपलब्धियों को सत्यापित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और क्या कभी कोई भिन्नता देखी गई है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“जेजेएम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित तंत्र अपनाया गया है:

(क) वास्तविक समय वाले डैशबोर्ड <https://ejalshakti.gov.in/jimreport/JJMIndia.aspx> के साथ राज्यों द्वारा आंकड़े अद्यतनीकरण के लिए एक समर्पित जेजेएम आईएमआईएस-का संचालन किया गया है;

(ख) लक्षित वितरण और विशिष्ट परिणामों की निगरानी के लिए प्रत्येक ,पारिवारिक नल कनेक्शन को सांविधिक प्रावधानों के अधीन ,परिवार के मुखिया के आधार नंबर के साथ जोड़ा जा रहा है;

ग) जेजेएम के तहत बनाई गई हर संपत्ति को जियोटैग किया जा रहा है-;

घ) ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की निगरानी के लिए आईओटी आधारित जल आपूर्ति स्मार्ट मापन और निगरानी प्रणालीविकसित की जा रही है ;

ङ) किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए जेजेएम के तहत सृजित परिसंपत्तियों का तीसरे पक्ष से निरीक्षण राज्यों द्वारा कराया जा रहा है;

च) जल आपूर्ति योजनाओं और नल जल कनेक्शन का कार्यशीलता मूल्यांकन किया जा रहा है ; और

छ) नियमित क्षेत्र दौरे और समीक्षाएं की गईं।

इसके अलावा, मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करके पानीसमितियों/वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायतों और उपयोगकर्ताओं/अधिकारियों के लिए डेटा संग्रह और विवरण प्रकाशित करने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है।”

1.43 20 फरवरी, 2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति ने महाराष्ट्र जैसे राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में देखी गई समस्याओं की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया, जहां जेजेएम के तहत कार्य केवल 2021 में शुरू किए गए थे और परिवारों का सर्वेक्षण नियुक्त की गई एजेंसियों द्वारा भौतिक सर्वेक्षण के बजाय गूगल इमेज के आधार पर किया जाता है और परिणामस्वरूप क्षेत्रों/परिवारों को बाहर रखा जा रहा है। इसके अलावा, जल आपूर्ति स्रोत का समुचित सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। नतीजतन, हालांकि आईएमआईएस डेटा परिवारों के कवरेज को दर्शाता है, फिर भी जमीनी हकीकत यह है कि परिवारों को कवर नहीं किया गया है। योजनाओं के कार्यान्वयन में इन व्यावहारिक समस्याओं पर जवाब देने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नानुसार कहा:

“ यह विभाग, जेजेएम-आईएमआईएस में सूचित किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्यों के साथ नियमित रूप से संपर्क कर रहा है। जिला स्तरीय डेटा एंट्री के लिए जिम्मेदार जिला नोडल अधिकारियों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं जिन्हें राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा विसंगतियों, यदि कोई हो, से बचने के लिए डेटा में अपेक्षित संशोधनों के साथ अनुमोदित/स्वीकार किया जाता है।

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर जेजेएम के कार्यान्वयन में वास्तविक सच्चाई और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, अगस्त, 2022 से राष्ट्रीय स्तर की निगरानी-एनडब्ल्यूई को सूचीबद्ध और तैनात किया गया है। इन विशेषज्ञों ने 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 121 जिलों और 1,429 गांवों का दौरा किया है। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, इन विशेषज्ञों की रिपोर्टों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है।”

1.44 जेजेएम के तहत निष्पादित किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की स्थिति के बारे में एक और प्रश्न पूछे जाने पर, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नानुसार कहा:

“जल राज्य का विषय है। तथापि, जेजेएम के अंतर्गत, भुगतान जारी करने से पहले कार्यों और सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किए गए कार्यों के तीसरे पक्ष से निरीक्षण के लिए अनिवार्य प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, एनजेजेएम और एनडब्ल्यूई टीमों द्वारा क्षेत्र स्तरीय निरीक्षणों के अलावा, यह विभाग मिशन के तहत प्रदान किए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का वार्षिक मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराता है।”

(vii) गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति की व्यवस्था

1.45 जेजेएम के अंतर्गत जल की गुणवत्ता पर बल देते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाएं:

- i.) जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में, विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण वाली बसावटों में प्राथमिकता के आधार पर पीने योग्य पानी सुनिश्चित करना;
- ii.) चूंकि पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने में अधिक समय लग सकता है, अतः राज्यों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में पीने और खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए 8-10 एलपीसीडी प्रदान करने के लिए अंतरिम (अल्पकालिक) उपाय के रूप में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें। तथापि, राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर इन बसावटों के प्रत्येक घर में पाइपगत जलापूर्ति की योजना बनाने के लिए कहा गया है;
- iii.) पर्याप्त भूजल उपलब्धता वाले लेकिन जहां गुणवत्ता के मुद्दे हैं, उन गांवों में, उपयुक्त स्थल पर ही शोधन प्रौद्योगिकी को अपनाने की संभावना तलाशनी है;
- iv.) जल गुणवत्ता के मुद्दों और आस-पास के क्षेत्रों में उपयुक्त सतही जल स्रोतों की अनुपलब्धता वाले गांवों में, लंबी दूरी से अधिक मात्रा में पानी को अंतरित करना अधिक उपयुक्त हो सकता है।

1.46 जल की कमी और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में, राज्य शोधन संयंत्रों के साथ-साथ थोक जल अंतरण और वितरण नेटवर्क के लिए स्कीमें तैयार कर रहे हैं और कार्यान्वित कर रहे हैं;

1.47 सहायक गतिविधियाँ - आईएसए के नियोजन, वीडब्ल्यूएससी गठन, वीएपी तैयारी, आईईसी गतिविधियाँ, सहायक कर्मचारी, क्षमता निर्माण, कौशल, तृतीय-पक्ष निरीक्षण, शिकायत निवारण, आदि हेतु योजना।

1.48 जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियाँ - नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की योजना, एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता, पीपीपी, जल गुणवत्ता परीक्षण और स्वच्छता सर्वेक्षण लक्ष्य, आदि।

1.49 समिति को बताया गया है कि जेजेएम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों में संदूषण की निगरानी बसावट-वार की जाती है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 13.02.2023 की स्थिति के अनुसार 21,945 बसावटों में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के साथ पेयजल स्रोत हैं।

1.50 राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जल जीवन मिशन-जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की राज्य-वार संख्या

(13.02.2023 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या								कुल गुणवत्ता प्रभावित बसावटें
		फ्लोराइड		आर्सेनिक		आयरन	लवणता	नाइट्रेट	भारी धातु	
		कुल	अल्पकालिक उपायों के साथ कवर की गई	कुल	अल्पकालिक उपायों के साथ कवर की गई					
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	147	-	-	-	147
2.	असम	-	-	-	-	7,570	-	-	-	7,570
3.	बिहार	-	-	-	-	84	-	-	-	84
4.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	9	-	-	-	9
5.	झारखंड	2	2	-	-	3	-	-	-	5
6.	केरल	4	4	-	-	61	18	8	-	91
7.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	10	-	-	10
8.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	3	-	-	3
9.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	6	30	6	-	42
10.	ओडिशा	33	33	-	-	1,786	18	6	-	1,843
11.	पंजाब	176	176	445	428	3	-	17	86	727
12.	राजस्थान	168	152	-	-	4	9,750	461	-	10,383
13.	त्रिपुरा	-	-	-	-	359	-	-	-	359

14.	उत्तर प्रदेश	38	38	107	107	277	79	10	-	511
15.	उत्तराखंड	-	-	-	-	2	-	1	-	3
16	पश्चिम बंगाल	40	40	100	100	14	1	-	3	158
कुल		461	445	652	635	10,325	9,909	509	89	21,945

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

1.51 यह पूछे जाने पर कि जेजेएम के कार्यान्वयन की लक्षित अवधि के भीतर शेष गांवों और बस्तियों को कवर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“...जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए सतही जल स्रोतों अथवा वैकल्पिक सुरक्षित भूजल स्रोतों जैसे सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर अधिक मात्रा में जल अंतरण की पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने को प्राथमिकता दें। यदि सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइपगत जलापूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और चालू होने में समय लग सकता है, तो पूर्णतः एक अंतरिम उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें ताकि प्रत्येक परिवार को उनकी पेयजल और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

राज्य द्वारा सूचित प्रगति की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली जेजेएम-आईएमआईएस के माध्यम से दैनिक आधार पर भी निगरानी की जाती है। यह विभाग सम्मेलनों, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठकों, फील्ड दौरों आदि सहित कई बैठकों के माध्यम से समय-समय पर राज्यों के साथ प्रगति की समीक्षा करता रहा है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सभी परिवारों को नल कनेक्शनों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन में तेजी लाएं।”

(i) **जल गुणवत्ता निगरानी और निरीक्षण**

1.52 समिति को बताया गया है कि जल आपूर्ति/जल एवं स्वच्छता/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा/अथवा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पैरास्टेटल संगठन अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था करने और आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.53 विभाग ने अपने लिखित उत्तर में आगे सूचित किया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवधिक आधार पर अर्थात् रासायनिक और भौतिक मापदंडों के लिए वर्ष में एक बार और सतही जल स्रोतों सहित सभी पेयजल स्रोतों के जीवाणु विज्ञान संबंधी मापदंडों के लिए वर्ष में दो बार जल गुणवत्ता का परीक्षण

करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

1.54 यह पूछे जाने पर कि किए जा रहे पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत कहा:

“ पेयजल गुणवत्ता निगरानी और सेवा फ्रेमवर्क में कहा गया है कि विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित करने के लिए जल सेवा वितरण और जल गुणवत्ता परीक्षण के कार्यों को अलग करने की आवश्यकता है। कार्य को अलग-अलग करने के लिए एक पेयजल समिति आयुक्तालय की स्थापना की जानी है।”

1.55 यह पूछे जाने पर कि पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा पानी की गुणवत्ता की निगरानी के कारण क्या कमियां/ खामियां पाई गयी हैं और जल सेवा वितरण और जल गुणवत्ता परीक्षण को अलग करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, विभाग ने निम्नानुसार बताया:

“जल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख संबंधी गतिविधियों में राज्यों द्वारा सामना की जा रही कार्यान्वयन स्तर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राज्यों और विभिन्न हितधारकों के परामर्श से 'पेयजल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख संबंधी ढांचा' तैयार किया है और विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित करने के लिए जल सेवा वितरण और जल गुणवत्ता परीक्षण के कार्यों को अलग-अलग करने के लिए इसे राज्यों के साथ साझा किया है।”

1.56 पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की भूमिका के बारे में बताने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने निम्नवत लिखित उत्तर दिया:

“जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार, राज्य को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) का गठन करने का अधिकार दिया गया है ताकि जल के संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसे परिवर्तन को रोका और नियंत्रित किया जा सके जिनसे ऐसे जल के लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा, या घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य वैध उपयोगों के लिए, या जानवरों या पौधों या जलीय जीवों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए जोखिमकारी या हानिकारक होने की संभावना हो। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्मिक जल के नमूने ले सकते हैं और गुणवत्ता के लिए उनका परीक्षण करा सकते हैं। साथ ही, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल स्रोतों के संदूषण की रोकथाम के लिए नगरपालिका के तरल कचरे, सीवेज और औद्योगिक तथा संस्थागत तरल कचरे के शोधन की सीमा और गुणवत्ता की निगरानी का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने राज्यों और विभिन्न हितधारकों के परामर्श से पेयजल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख संबंधी ढांचा तैयार किया है और कुशल जल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख के लिए इसे राज्यों के साथ साझा किया है।”

1.57 जल स्रोतों की गुणवत्ता की निगरानी में आने वाली चुनौतियों और प्रत्येक चुनौती से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की सूचना दी है। इनमें से कुछ निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:

- एक) लोगों में नल से सीधे पानी पीने/घरेलू शोधन संयंत्रों का चयन करने में विश्वास की कमी
- दो) प्रयोगशालाओं का जनता के लिए खुला न होना अथवा महंगे शुल्क
- तीन) पेयजल स्रोतों का कोई नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं
- चार) सार्वजनिक जल आपूर्ति वितरण बिंदु के आसपास अस्वच्छ वातावरण
- पाँच) गुणवत्ता मानदंडों से समुदाय का अनभिज्ञ होना
- छह) जल गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में सामुदायिक स्वामित्व की कमी
- सात) शिकायत निवारण के सीमित उपाय
- आठ) जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े विश्लेषण के लिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध न होना
- नौ) आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नवीन तकनीक का अभाव
- दस) वाँश सेवाओं और लोक स्वास्थ्य के लिंकेज के संबंध में सीमित जागरूकता
- ग्यारह) नमूना लक्ष्य प्राप्त करने में प्रयोगशालाओं का असमर्थ होना
- बारह) प्रयोगशालाओं में संस्थागत और कार्यशीलता का अंतर
- तेरह) प्रयोगशालाओं का कोई मानकीकरण न होना
- चौदह) डब्ल्यूक्यूएमएस में शामिल एचआरके लिए प्रशिक्षण की कमी

इन चुनौतियों से व्यवहार्य रूप से निपटने और इस मामले में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने राज्यों और विभिन्न हितधारकों के परामर्श से ‘पेयजल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख संबंधी ढांचा’ तैयार किया है और इसे राज्यों के साथ साझा किया है। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशालाओं में पानी की गुणवत्ता के लिए और फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके जल संबंधी नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और देख-रेख के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थ बनाने हेतु एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर भी देखा जा सकता है:

<https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report>

यह पोर्टल परीक्षण किए गए पानी के नमूने दूषित होने पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित प्राधिकारियों को उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वचालित अलर्ट भी प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 13.02.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,076 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इस विभाग की सलाह के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन प्रयोगशालाओं को नाममात्र की दर पर अपने जल के नमूनों के परीक्षण के लिए आम जनता के लिए खोल दिया है।

(ii) जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं और परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)

1.58 विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय मिशन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, उन्नयन, कामकाज में सुधार और सुदृढीकरण में सहायता और सुविधा प्रदान कर रहा है। जेजेएम बुनियादी जल गुणवत्ता महत्व के मानकों के लिए कम से कम आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन और स्थानीय स्थिति के अनुसार धीरे-धीरे अन्य मानकों में उन्नयन करने पर जोर देता है।

1.59 इस संबंध में, विभाग ने सूचित किया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 13.02.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,076 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से 1,067 प्रयोगशालाएं प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची निम्नवत है:

जल जीवन मिशन-पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(13.02.2023 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या				एनएबीएल मान्यता प्राप्त/मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या			
		राज्य	जिला/क्षेत्रीय	ब्लॉक/सब-डिवीजन/मोबाइल	कुल	राज्य	जिला/क्षेत्रीय	अन्य	कुल
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह समूह	1	3	7	11	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	1	13	98	112	1	12	-	13
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	20	15	36	-	-	-	-
4.	असम	1	26	56	83	1	21	27	49
5.	बिहार	1	37	84	122	-	11	-	11
6.	छत्तीसगढ़	1	28	42	71	1	24	11	36
7.	दादरा एवं	-	1	-	1	-	1	-	1

	नगर हवेली और दमण एवं दीव								
8.	गोवा	1	-	13	14	1	-	7	8
9.	गुजरात	1	33	46	80	1	26	41	68
10.	हरियाणा	1	21	22	44	1	19	15	35
11.	हिमाचल प्रदेश	-	14	58	72	-	13	44	57
12.	जम्मू और कश्मीर	2	20	76	98	-	8	1	9
13.	झारखंड	1	24	5	30	1	21	3	25
14.	कर्नाटक	2	31	48	81	-	21	25	46
15.	केरल	4	14	70	88	1	14	67	82
16.	लद्दाख	-	2	3	5	-	-	-	-
17.	लक्षद्वीप	-	-	9	9	-	-	-	-
18.	मध्य प्रदेश	1	51	103	155	1	50	78	129
19.	महाराष्ट्र	-	34	143	177	-	29	53	82
20.	मणिपुर	1	12	-	13	-	12	-	12
21.	मेघालय	1	7	22	30	1	1	-	2
22.	मिजोरम	1	8	18	27	1	-	-	1
23.	नागालैंड	1	11	-	12	1	11	-	12
24.	ओडिशा	1	30	46	77	1	16	11	28
25.	पुदुचेरी	-	2	-	2	-	-	-	-
26.	पंजाब	1	23	9	33	1	22	6	29
27.	राजस्थान	2	32	20	54	-	25	-	25
28.	सिक्किम	1	1	-	2	-	-	-	-
29.	तमिलनाडु	1	31	81	113	1	31	1	33
30.	तेलंगाना	1	19	56	76	-	1	-	1
31.	त्रिपुरा	1	8	12	21	1	3	12	16
32.	उत्तर प्रदेश	1	75	5	81	1	25	-	26
33.	उत्तराखंड	1	13	13	27	1	13	13	27
34.	पश्चिम बंगाल	1	22	196	219	1	22	181	204

कुल	34	666	1,376	2,076	19	452	596	1,067
-----	----	-----	-------	-------	----	-----	-----	-------

1.60 यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा जल गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना पेयजल प्रयोजनों के लिए आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता का उचित परीक्षण और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 13.02.2023 तक, 2022-23 के दौरान अब तक लगभग 75.41% गांवों में रासायनिक मापदंडों के लिए प्रयोगशालाओं में या एफटीके का उपयोग करके और लगभग 52.41% गांवों में बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंड (मानसून के बाद) पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है।

‘पेयजल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख संबंधी ढांचे’ को पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढीकरण और प्रयोगशालाओं के संस्थागत ढांचे, आवश्यक बुनियादी ढांचा, जनशक्ति/विशेषज्ञ, उपकरण, कर्मचारी योग्यता और अनुभव; प्रयोगशाला कर्मियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां; प्रयोगशाला अंतराल मूल्यांकन और सुधार योजना; एनएबीएल मान्यता/मान्यता प्रक्रिया आदि के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में भी साझा किया गया है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन की 2% तक राशि का उपयोग जल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख के लिए किया जा सकता है जिसमें प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, उपस्करों, उपकरणों, रसायनों, कांच के सामान की खरीद, आउटसोर्स किए गए मानव संसाधनों की उपभोग्य सामग्री किराए पर लेना, एनएबीएल प्रत्यायन आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के मौजूदा नेटवर्क की समीक्षा करें और राज्य में क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक/उप-मंडल स्तर पर अतिरिक्त प्रयोगशालाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी/सार्वजनिकभागीदारी की स्थापना/अन्वेषण करके इसे सुदृढ करें।”

1.61 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति की स्थिति के संबंध में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नवत बताया:

“जल” राज्य का विषय होने के कारण पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आबंटन की 2% राशि का उपयोग जल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख के लिए किया जा सकता है जिसमें प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, उपस्करों, उपकरणों की खरीद, आउटसोर्स किए गए मानव संसाधनों की उपभोग्य सामग्री को किराए पर लेना, एनएबीएल प्रत्यायन आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख संबंधी ढांचे का पालन करने की सलाह दी गई है जिसमें प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण के लिए जनशक्ति/विशेषज्ञों और उपकरणों की योग्यता और आवश्यकता का सुझाव देता है।

प्रयोगशालाओं में स्टाफ के पदों को नियमित/संविदा कर्मियों से भरा जा सकता है या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मौजूदा नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आउटसोर्स भी किया जा सकता है।”

(ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

1.62 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण [एसबीएम (जी)], एक केंद्रीय प्रायोजित योजना, 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर, 1.62 2019 तक सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना था। यद्यपि स्वच्छता राज्य का विषय है, तथापि केन्द्र प्रायोजित स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है।

1.63 देश के सभी गांवों/जिलों ने 2 अक्टूबर, 2019 को स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। तथापि, 1.63 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई थी कि वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी छोटे हुए परिवार को शामिल करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वंचित न रहे और उन्हें आईएमआईएस में किसी भी शेष परिवार का विवरण दर्ज करने की अनुमति दी जाए।

1.64 समिति को सूचित किया गया कि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार एसबीएम (ग्रामीण) चरण-दो के प्रमुख घटकों के अंतर्गत शामिल विभिन्न कार्यक्रमों का निम्नानुसार है: -

- ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों में बायोडिग्रेडेबल कचरे और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे का संग्रहण और पृथक्करण शामिल है। गोबरधन के अंतर्गत पारिवारिक और सामुदायिक स्तर के कंपोस्ट खाद के गड्ढों और बायो-गैस संयंत्रों के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन और निपटान किया जाना है। गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के लिए, ग्राम स्तर पर भंडारण इकाइयों और ब्लॉक स्तर पर सामग्री रिकवरी केंद्र/प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (पीडब्ल्यूएमयू) की परिकल्पना की गई है।
- तरल कचरा प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत, गंदले जल प्रबंधन का कार्य पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर सोखता गड्ढों, कचरा स्थिरीकरण तालाबों, डीईडब्ल्यूएटीएस आदि के माध्यम से किया जाना है।
- इस कार्यक्रम में मलीय गाद के ऑफसाइट शोधन के लिए जिला स्तर पर मलीय गाद प्रबंधन की भी परिकल्पना की गई है।

- नए पात्र परिवारों (सभी बीपीएल परिवारों और पहचान किए गए एपीएल परिवारों जैसे एससी/एसटी परिवारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों) को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) की एक इकाई के निर्माण के लिए 12000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- इस कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) का निर्माण आवश्यकता के आधार पर किया जाना है ताकि उन परिवारों की स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिनके पास स्थान की कमी के कारण या फ्लोटिंग/प्रवासी आबादी के लिए व्यक्तिगत शौचालय नहीं हैं, या उन स्थानों पर किया जाना है जहां आमतौर पर लोगों का बड़ा जमावड़ा होता है, ताकि गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखा जा सके। सीएससी के निर्माण के लिए, प्रमुख एससी/एसटी बसावटों, गांव के सबसे गरीब और/या प्रवासी मजदूरों/अस्थायी आबादी आदि के आने वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ग्रामीण आबादी के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार और कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता लाने के लिए गहन आईईसी गतिविधियों को जारी रखा जा रहा है। ओडीएफ प्लस गांवों के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों, पंचायती राज संस्थाओं और फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण भी किया जा रहा है।

1.65 विभाग ने एसबीएम (जी) चरण II के अंतर्गत विभिन्न घटकों और उनके वित्तपोषण मानदंडों का ब्यौरा निम्नानुसार दिया है:

घटक		वित्तीय सहायता		
सभी बीपीएल और पात्र एपीएल परिवारों को आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन		12,000/- रुपए		
एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां	ग्राम स्तरीय एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां		5000 तक आबादी वाले गांव	5000 से अधिक आबादी वाले गांव
		ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)	60 रुपये प्रति व्यक्ति	45 रुपये प्रति व्यक्ति
		गंदला जल प्रबंधन	280 रुपये प्रति व्यक्ति	660 रुपये प्रति व्यक्ति (कचरा स्थिरीकरण)

	(जीडब्ल्यूएम)	(सामुदायिक सोखता गड्डों/लीच गड्डों के माध्यम से गंदला जल प्रबंधन के लिए)	तालाबों, निर्मित आर्द्रभूमि आदि जैसे बड़ी प्रणालियों के माध्यम से गंदला प्रबंधन के लिए)
	टिप्पणी: तथापि, छोटे गांव ठोस कचरा और गंदला जल प्रबंधन के लिए अपनी आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम 1 लाख रुपए तक की वित्तपोषण सहायता के लिए पात्र होंगे।		
जिला/ब्लॉक स्तरीय एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (प्रत्येक ब्लॉक में एक)	16 लाख रुपये प्रति इकाई	
	मलीय गाद प्रबंधन	230 रुपये प्रति व्यक्ति	
	गोबर-धन परियोजनाएं	50 लाख रुपये प्रति जिला	
सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)	3 लाख रुपये प्रति सीएससी		
आईईसी और क्षमता निर्माण	कार्यक्रम घटकों के लिए कुल निधियन का 5%		
प्रशासनिक व्यय	कार्यक्रम घटकों के लिए कुल निधियन का 1%		

टिप्पणी:

(1) ग्राम स्तरीय सामुदायिक गतिविधियों अर्थात् एसएलडब्ल्यूएम और सीएससी के लिए, उपर्युक्त निर्धारित वित्तपोषण मानदंडों की 30% राशि का ग्राम पंचायतों द्वारा अपने 15 वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ अभिसरण के माध्यम से अनिवार्य रूप से वहन किया जाएगा।

(2) किसी गांव में ठोस कचरा प्रबंधन घटक, के अंतर्गत बचत यदि कोई हो, का उपयोग उसी गांव में गंदला जल प्रबंधन के लिए किया जा सकता है और इसी प्रकार गांव में गंदला प्रबंधन घटक के अंतर्गत बचत, यदि कोई हो, का उपयोग उसी गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।

(3) पीडब्ल्यूएमयू की स्थापना के लिए ब्लॉक के लिए निर्धारित वित्तपोषण मानदंडों के संबंध में बचत, यदि कोई हो, का उपयोग यदि आवश्यक हो, तो दूसरे ब्लॉक में किया जा सकता है। इसके अलावा, आवश्यकता के आधार पर, पीडब्ल्यूएमयू को ऐसे ब्लॉकों की समग्र निधि उपलब्धता के भीतर एक से अधिक ब्लॉक के लिए क्लस्टर मोड में स्थापित किया जा सकता है।

(4) गोबरधन के लिए एक जिले के लिए निर्धारित वित्तपोषण मानदंडों के संबंध में बचत, यदि कोई हो, का यदि आवश्यक हो तो उपयोग दूसरे जिले में किया जा सकता है। इसके अलावा, आवश्यकता के आधार पर, ऐसे जिलों की समग्र निधि उपलब्धता के भीतर एक से अधिक जिलों के लिए गोबरधन इकाइयों को क्लस्टर मोड में शुरू किया जा सकता है।

(5) इनमें से किसी भी घटक के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों, ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग अनुदान, एमपीलैड/एमएलएएलएडी स्कीमों, एसबीएम (जी) के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों, व्यवसाय मॉडलों के माध्यम से राजस्व सृजन आदि से पूरा किया जा सकता है।

1.66 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधा के कवरेज में प्रगति के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने निम्नवत बताया :

“ एसबीएम) जी (ग्रामीण समुदायों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके देश को ओडीएफ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत मात्रात्मक लक्ष्य शौचालय सुविधा से वंचित परिवारों के लिए आईएचएचएल और ऐसे परिवारों जिनके पास शौचालय के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है , प्रवासी और फ्लोटिंग आबादी और लोगों की भीड़ वाले स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों) सीएससी (का निर्माण करना था ताकि सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों की सुविधा प्रदान की जा सके। गुणात्मक संकेतक मलीय सामग्री के सुरक्षित निपटान और लोगों द्वारा शौचालयों के उपयोग के माध्यम से मल मौखिक संचरण की समाप्ति के जरिए ओडीएफ हासिल कर रहा था।

एसबीएम (जी) के चरण-II के तहत, जिसे 2020-21 से 2024-25 तक कार्यान्वित किया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिरता और एसएलडब्ल्यूएम पर केंद्रित है अर्थात गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए, मात्रात्मक संकेतक मांग के अनुसार आईएचएचएल और सीएससी के निर्माण के अलावा गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना है। साथ ही, गुणात्मक संकेतक गांवों की ओडीएफ प्लस स्थिति हासिल कर रहा है।”

1.67 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“स्वच्छता गतिविधियों को टिकाऊ बनाने के लिए ,एसबीएम) जी (के तहत निम्नलिखित पहलों की परिकल्पना की गई है:

(एक) स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर उपयुक्त कार्यान्वयन तंत्र और प्रौद्योगिकी चुनने के लिए राज्यों को लचीलापन;

(दो) स्थानीय स्थलाकृतिक और हाइड्रोलॉजिकल स्थितियों के प्रति उत्तरदायी अल्प लागत वाली ऐसी प्रौद्योगिकियां जिन्हें संचालित करना और बनाए रखना आसान हो ,पर ध्यान केंद्रित किया गया है;

(तीन) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और मलीय कीचड़ प्रबंधन के लिए ,जहां भी संभव हो ,शहरी अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ सामंजस्य;

(चार) मौजूदा अवसंरचना की रेट्रोफिटिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है; और

(पाँच) ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसंपत्तियों का विकेंद्रीकृत संचालन और रखरखाव।”

1.68 एसबीएम (जी) के विभिन्न घटकों के तहत कार्यकलापों के कार्यान्वयन में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले 10राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण बताने के लिए पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“कुल ओडीएफ प्लस गांवों के प्रतिशत के मामले में 10 सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, त्रिपुरा, मेघालय, झारखंड, महाराष्ट्र और लद्दाख हैं। ऊपर उल्लिखित मुद्दों और कुछ राज्य विशिष्ट मुद्दों जैसे दूरस्थ क्षेत्रों, दुर्गम भू-भाग, हाइड्रोजियोलोजिकल परिस्थितियों, तकनीकी जानकारी की कमी आदि के कारण पहले से ही इन राज्यों में प्रगति धीमी रही है।”

(i) एसबीएम (जी) II के कार्यान्वयन में चुनौतियां

1.69 एसबीएम (जी) II के सुचारु कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में बताने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

“चूंकि एसबीएम (जी) चरण-II में एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों के तहत विभिन्न नए हस्तक्षेप शामिल हैं, इसलिए इस चरण का स्वरूप चरण-I की तुलना में जटिल है। एसबीएम (जी) चरण-II को कार्यान्वित करते समय निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों/बाधाओं का सामना करना पड़ा है:

एक. एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों की आयोजना और कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियों और संस्थाओं का क्षमता निर्माण;

दो. भारत की विशाल बदलती भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान; और

तीन. संसाधनों के सामंजस्य के लिए विभिन्न विभागों/संगठनों जैसे ग्रामीण स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज आदि के बीच समन्वय।”

1.70 उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

“डीडीडब्ल्यूएस ने कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने में राज्यों की मदद करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

एक. कार्यक्रम निधियों का 3% आईईसी और क्षमता निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। राज्यों को आईईसी और क्षमता निर्माण निधियों का उपयोग करके विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले कार्यक्रम प्रबंधन यूनिटों को किराए पर लेने की सलाह दी गई है।

दो. डीडीडब्ल्यूएस पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जमीनी स्तर पर प्रभावी सामंजस्य के लिए संयुक्त परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं।

तीन. ओडीएफ प्लस के प्रमुख घटकों जैसे बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, गंदला जल प्रबंधन, मलीय कीचड़ प्रबंधन और आईईसी से संबंधित तकनीकी मैनुअल/ब्रोशर/टेम्प्लेट तैयार किए गए थे और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के लिए रेडी रेकनर के रूप में उपयोग करने के लिए राज्यों को भेजे गए थे।

चार. जनसमूहों की क्षमता निर्माण, तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर सक्षम मानव संसाधनों का एक पूल बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, डीडीडब्ल्यूएस ने मास्टर ट्रेनर्स (एमटी) के सृजन हेतु एक पहल शुरू की है। इसके अलावा ये सरपंचों/स्वच्छाग्रही/पंचायत सचिवों को ओडीएफ प्लस के बारे में प्रशिक्षित करते हैं और ग्राम पंचायतों तथा गांवों को अपनी ओडीएफ प्लस ग्राम स्वच्छता योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने में मदद करते हैं। अब तक 24 राज्यों में 2305 मास्टर ट्रेनर्स (एमटी) का पूल बनाया गया है।

पाँच. डीडीडब्ल्यूएस दिशानिर्देशन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम की देखरेख करने वाले राज्य स्तर के अधिकारियों के ज्ञान को नियमित रूप से अद्यतन और नई जानकारीयों प्रदान कर रहा है। विभिन्न कार्यक्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। डीडीडब्ल्यूएस द्वारा 12 जुलाई, 2022 को क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 15वें वित्त आयोग की निधियों के बारे में राज्य/जिला/ब्लॉक अधिकारियों का दिशानिर्देशन 11 बैचों में आयोजित किया गया है और 28 राज्यों से लगभग 19000 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। पंचायत सचिवों और निर्वाचित पंचायती राज संस्थानों के आगे दिशानिर्देशन के लिए जून, 2022 के महीने में 4 सत्रों में एनआईसी, पंचायत राज मंत्रालय की सभी राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) का दिशानिर्देशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 12.02.2023 तक, 6146 प्रशिक्षण पूरे किए जा चुके हैं और ओडीएफ प्लस के लिए 3,38,474 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

छह. डीडीडब्ल्यूएस ने जल और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग से सशर्त अनुदानों के उपयोग के लिए मैनुअल जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में ग्राम पंचायत विकास योजना के भाग के रूप में स्वच्छता के लिए योजना को प्रविष्ट करने के लिए समर्पित प्रावधान किया गया है और ई-ग्रामस्वराज में स्वच्छता योजना में प्रविष्ट करने के संबंध में पंचायती राज संस्थानों को प्रशिक्षण दिया गया है।”

(ii) वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी)

1.71 समिति को यह सूचित किया गया कि स्वच्छता के लिए ग्राम कार्य योजना, जो एसबीएम (जी) की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) का आधार है, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के साथ शुरू की जाती है क्योंकि यह व्यापक जीपीडीपी का एक हिस्सा होती है। डीडीडब्ल्यूएस पिछले वित्तीय वर्ष के फरवरी-मार्च में अलग-अलग राज्यों के साथ योजना मूल्यांकन समिति की बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समेकित एआईपी की जांच और चर्चा करता है और राज्यों को निधियों के आबंटन के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ तक एसबीएम (जी) की राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति की बैठक में एआईपी का अनुमोदन करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी जमीनी स्तर की योजना के अनुसार गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। 2023-24 के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (एआईपी) पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्यों से पहले ही एसबीएम (जी) के तहत 2023-24 के लिए एआईपी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

1.72 वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) और जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यान्वयन के बीच अंतर के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं (एआईपी) बॉटम अप दृष्टिकोण को अपनाते हुए तैयार की जाती हैं अर्थात् ग्राम/ब्लॉक/जिला कार्य योजनाओं को समेकित किया जाता है। चूंकि, डीडीडब्ल्यूएस केवल राज्यों के एआईपी को समेकित करता है, इसलिए योजना के संबंध में विस्तृत जमीनी स्तर की प्रगति की निगरानी नहीं की जा सकती है। तथापि, पिछले वर्षों में योजनाबद्ध समय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रही थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एआईपी की योजना के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए नियमित रूप अनुरोध किया गया है।”

(iii) वित्तीय निष्पादन

1.73 पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिशत भिन्नता के साथ बजट अनुमान ,संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	ब.अ .के संदर्भ में सं.अ . में परिवर्तनका %	उपयोग	सं.अ .के संदर्भ में उपयोग का %
2018-19	15343.00	14478.03	94.36	12932.96	89.33
2019-20	9994.00	8338.22	83.43	8245.75	98.89

2020-21	9994.10	6000.00	60.04	4947.92	82.47
2021-22	9994.10	6000.00	60.04	3098.56	51.86
2022-23 (20.01.2023 तक)	7192.00	5000.00	69.52	2318.21	46.36
2023-24	7192.00	-		-	

टिप्पणी: वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऊपर दिए गए बजट आवंटन के अलावा, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से भी धन जुटाया गया था।

1.74 योजना के तहत निधियों के आवंटन और उपयोग में भिन्नता के कारण बताने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

“राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति उनके एआईपी में योजना के अनुसार नहीं थी। आईएचएचएल और सीएससी की आयोजना केवल अनुमान पर आधारित थी जबकि आईएचएचएल के संबंध में वास्तविक प्रगति वास्तविक संख्या पर आधारित थी। उस वित्त वर्ष के दौरान आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि की मांग करने वाले परिवारों की संख्या और सीएससी का निर्माण और इसके ओ एंड एम सुनिश्चित करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा महसूस की गई वास्तविक आवश्यकता पर आधारित था। एसएलडब्ल्यूएम कार्यों के तहत प्रगति धीमी थी क्योंकि प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुख्य ध्यान योजना पर था और प्रारंभिक चरण में तकनीकी जानकारी की कमी थी। 2020 और 2021 के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की गति को धीमा कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में भी कमी आई थी। अब ,राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति हासिल करना शुरू कर दिया है।”

1.75 यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2023-24 के चालू वित्त वर्ष के दौरान एसबीएम(जी)-II के लिए बजट अनुमान आवंटन को 2022-23 के बजट अनुमान के समान स्तर पर क्यों रखा गया है, जबकि यह बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान 2022-23 के आवंटन का कम अर्थात् केवल 46 प्रतिशत उपयोग किया गया है, विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया :

“चालू वित्त वर्ष 2022-23 में दिनांक 9.2.2023 की स्थिति के अनुसार, 2876.72 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। राज्यों के साथ चर्चा के आधार पर, यह आशा है कि 31.3.2023 तक 5000.00 करोड़ रुपये की आवंटित राशि का पूरा उपयोग कर लिया जाएगा।”

1.76 विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों के दौरान अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के लिए ब्याज भुगतान पर खर्च की गई धनराशि के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के लिए ब्याज भुगतान पर खर्च की गई वर्ष-वार निधियां निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु में)

वर्ष	सं.अ.	ईबीआर ब्याज पर खर्च की गई राशि	सं.अ. आवंटन का %
------	-------	--------------------------------	------------------

2018-19	14478.03	2.75	एनए
2019-20	8338.22	763.51	9.15%
2020-21	6000.00	1031.03	17.18%
2021-22	6000.00	1032.89	17.21%
2022-23 (09.02.2023 तक)	5000.00	771.99	15.44%

(iv) एसबीएम (जी) II के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधियां जारी करना

1.77 एसबीएम -चरण (जी)II को ओडीएफ प्लस गांवों की उपलब्धि हासिल हेतु स्वच्छता सुविधाओं को संतृप्त करने के लिए वित्तपोषण के विभिन्न कार्यक्षेत्रों और केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच कंवर्जेंसके एक नए मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से एसएलडब्ल्यूएम के लिए ,डीडीडब्ल्यूएस से बजटीय आबंटनों और तदनुरूपी राज्य के अंश के अलावा, शेष निधियों को 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिये गए अनुदानों, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडलों आदि से पूरित किया जाना है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो राज्य वित्त आयोग, एमपीलैडएमएलएलएडी निधियों या अन्य योजनाओं से भी अतिरिक्त निधियां प्राप्त / की जा सकती हैं।

1.78 उपलब्ध वित्त पोषण स्रोतों के साथ ओडीएफ प्लस के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए एक कंवर्जेंस मैट्रिक्स निम्नानुसार दिया गया है:

घटक	निधियन के स्रोत		
	एसबीएम-जी	15वां वित्त आयोग	मनरेगा
आईएचएचएल	हां	-	-
रेट्रोफिटिंग	-	हां	हां
सीएससी	हां	हां	हां
घरोंमेंअलगावडिब्बे	-	हां	-
सार्वजनिक स्थानों पर पृथक्करण डिब्बे	-	हां	-
व्यक्तिगत खाद गड्ढे	-	हां	हां
सामुदायिक खाद गड्ढे	हां	हां	हां
ट्राई-साइकिल/अन्य वाहन	हां	हां	-
संग्रह, पृथक्करण और भंडारण इकाइयों की स्थापना	हां	हां	हां
व्यक्ति गड्ढों को सोखता है	-	हां	हां
समुदाय सोख गड्ढे	हां	हां	हां

ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली	हां	हां	हां
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई	हां	हां	-
मल कीचड़ प्रबंधन	हां	हां	-
जैव गैस संयंत्र (क्लस्टर मॉडल)	हां	हां	-
जैव गैस संयंत्र (सामुदायिक मॉडल)	हां	हां	हां

1.79 एसबीएम (जी) के अंतर्गत, सभी घटकों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समेकित निधियां जारी की जाती हैं। राज्य आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग कर सकता है। एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई केन्द्र और राज्य हिस्से की निधियों और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के माध्यम से राज्यों द्वारा सूचित उपयोग का ब्यौरा अनुबंध-तीन से आठ में दिया गया है।

1.80 एसबीएम (जी) के तहत राज्य के हिस्से की निधियों को जारी करने में देरी के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

“केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियां जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्र के हिस्से की निधियां राजकोष में प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर राजकोष से स्कीमों के एकल नोडल खाते में जारी की जानी होती हैं और तदनुसारी राज्य हिस्से की निधियां केन्द्र का हिस्सा प्राप्त होने के 40 दिनों के भीतर जारी की जानी होती हैं। जिन राज्यों में राजकोष से राज्य का हिस्सा जारी करने में 40 दिनों से अधिक का विलंब हुआ है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों की तारीख	राज्य हिस्सा जारी करने की तारीख	भारत सरकार की रिलीज के बाद राज्य का हिस्सा जारी करने में लगे दिन
अरुणाचल प्रदेश	10.08.2022	23.01.2023	165
बिहार	27.12.2022	30.12.2022	72 करोड़ रुपये का आंशिक राज्य हिस्सा अभी जारी किया जाना है।
केरल	06.10.2022	22.12.2022	77
मणिपुर	17.08.2022	अभी तक जारी नहीं किया गया	
मिजोरम	12.10.2022	16.01.2023	105
नागालैंड	10.08.2022	20.10.2022	70
सिक्किम	12.09.2022	21.12.2022	99
राजस्थान	10.10.2022	04.01.2023	85
उत्तर प्रदेश	02.08.2022	04.11.2022	93

पश्चिम बंगाल	04.11.2022	11.01.2023	67
--------------	------------	------------	----

1.81 विभाग ने यह जानकारी दी है कि राज्य के साथ प्रत्येक समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को नियमित रूप से उठाया गया था। सचिव डीडीडब्ल्यूएस से इन राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखे थे, जिसमें एसएनए कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य हिस्से की निधि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया था। जब तक राज्य का पूरा हिस्सा जारी नहीं किया जाता है तब तक राज्यों को कोई और निधियां जारी नहीं की जाती हैं।

(v) खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ) घोषित गांव की स्थिति

1.82 वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, ओडीएफ प्लस की प्रगति को तीन श्रेणियों अर्थात् ओडीएफ प्लस-**Aspiring**-उदीयमान, ओडीएफ प्लस-**Rising**-उज्ज्वल और ओडीएफ प्लस-**Model**-उत्कृष्ट में कैप्चर किया जा रहा है। प्रत्येक गांव के लिए ओडीएफ प्लस - उत्कृष्ट का दर्जा शीघ्रतिशीघ्र हासिल करने का लक्ष्य है।

ओडीएफ प्लस गांवों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानदंड

ओडीएफ प्लस- Aspiring-उदीयमान	ओडीएफ प्लस- Rising-उज्ज्वल	ओडीएफ प्लस- Model-उत्कृष्ट
(i) गांव में सभी परिवारों की एक कार्यात्मक शौचालय सुविधा तक पहुँच हो	(i) गांव में सभी परिवारों की एक कार्यात्मक शौचालय सुविधा तक पहुँच हो	(i) गांव में सभी परिवारों की एक कार्यात्मक शौचालय सुविधा तक पहुँच हो
(ii) गांव में सभी स्कूलों/आंगनवाड़ी / पंचायत घर की /केंद्रों पुरुष और महिलाओं के अलग-अलग शौचालय के साथ एक कार्यात्मक शौचालय तक पहुँच हो	(ii) गांव में सभी स्कूलों/आंगनवाड़ी / पंचायत घर की /केंद्रों पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग - शौचालय के साथ एक कार्यात्मक शौचालय तक पहुँच हो	(ii) गांव में सभी स्कूलों/पंचायत/आंगनवाड़ी केंद्रों/ -घर की पुरुष और महिलाओं के लिए अलग कार्यात्मक अलग शौचालय के साथ एक शौचालय तक पहुँच हो
(iii) गांव में ठोस कचरा प्रबंधन अथवा तरल कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों।	(iii) गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों	(iii) गांव में सभी सार्वजनिक स्थलों में न्यूनतम गंदगी/न्यूनतम रूका हुआ पानी देखा जाता , हो तथा सार्वजनिक स्थलों में प्लास्टिक का कोई भी कचरा जमा नहो
	(iv) गांव में तरल कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों।	(iv) गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों।
		(v) गांव में तरल कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों।
		(vi) गांव में दीवारों पर पेंटिंगबिल बोर्डों आदि / के माध्यम से ओडीएफ प्लस आईईसी संदेश मुख्य रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

1.83 एसबीएम II-के चरण (जी) के तहत सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। 20 जनवरी , 2023 तक स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित करने वाले गांवों की संख्या निम्नानुसार है:-


ओडीएफ प्लस उदीयमान	ओडीएफ प्लस उज्ज्वल	ओडीएफ प्लस उत्कृष्ट	कुल ओडीएफ प्लस गांव
1,08,764	22,026	45,045	1,75,835

1.84 दिनांक की स्थिति के अनुसार 09.02.2023, कुल ओडीएफ प्लस घोषित गांवों की प्रगति के प्रतिशत सहित ओडीएफ प्लस की राज्य:वार संख्या निम्नवत दी गई है-संघ राज्य क्षेत्र/

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गांवों की कुल संख्या	ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या			कुल ओडीएफ प्लस गांव	ओडीएफ प्लस गांव%
			2020-21	2021-22	2022-23		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	189	0	189	0	189	100.00
2	आंध्र प्रदेश	18,709	747	379	3,578	4,704	25.14
3	अरुणाचल प्रदेश	5,357	0	6	93	99	1.85
4	असम	25,493	0	19	367	386	1.51
5	बिहार	36,858	0	0	8,491	8,491	23.04
6	छत्तीसगढ़	18,798	87	1,871	3,541	5,499	29.25
7	दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	97	0	2	95	97	100.00
8	गोवा	365	0	0	204	204	55.89
9	गुजरात	18,288	5	680	6,492	7,177	39.24
10	हरियाणा	6,769	199	351	1,408	1,958	28.93
11	हिमाचल प्रदेश	15,900	7	3,052	9,109	12,168	76.53
12	जम्मू एवं कश्मीर	7,254	0	0	4,117	4,117	56.75
13	झारखंड	29,414	0	352	2,617	2,969	10.09
14	कर्नाटक	26,190	1	1,835	20,403	22,239	84.91
15	केरल	1,509	0	457	111	568	37.64
16	लद्दाख	238	0	0	54	54	22.69

17	लक्षद्वीप	9	0	0	9	9	100.00
18	मध्य प्रदेश	50,365	0	2,902	25,320	28,222	56.03
19	महाराष्ट्र	40,255	0	903	4,920	5,823	14.47
20	मणिपुर	2,556	5	1	18	24	0.94
21	मेघालय	5,832	0	374	173	547	9.38
22	मिजोरम	694	0	47	199	246	35.45
23	नागालैंड	1,425	0	0	332	332	23.30
24	ओडिशा	46,778	0	3,633	10,236	13,869	29.65
25	पुदुचेरी	108	0	39	28	67	62.04
26	पंजाब	14,041	8	630	203	841	5.99
27	राजस्थान	42,850	0	1,524	11,987	13,511	31.53
28	सिक्किम	403	8	75	119	202	50.12
29	तमिलनाडु	12,525	0	11,442	414	11,856	94.66
30	तेलंगाना	12,769	22	10,650	2,097	12,769	100.00
31	त्रिपुरा	1,176	0	1	98	99	8.42
32	उत्तर प्रदेश	95,827	0	2,331	28,191	30,522	31.85
33	उत्तराखंड	15,049	28	2,528	1,438	3,994	26.54
34	पश्चिम बंगाल	41,443	0	108	1,687	1,795	4.33
	कुल:-	5,95,533	1,117	46,381	1,48,149	1,95,647	32.85

ओडीएफ प्लस घोषित गांवों की राज्य-वार प्रगति
State-wise progress of ODF Plus villages



1.85 देश के सभी गांवों में लक्षित अवधि के भीतर ओडीएफ स्थिरता की उपलब्धि के संबंध में विभाग

के अनुमान के बारे में पूछे जाने पर ,विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया :

“ओडीएफ स्थिरता हासिल करने के लिए एसबीएम-जी चरण-II में ,छूटे हुए और नए परिवारों के लिए आईएचएचएल के निर्माण और उन परिवारों, जिनके पास आईएचएचएल के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, पलायन और प्रवासी आबादी के लिए तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों के लिए सीएससी के निर्माण का प्रावधान किया गया है। शौचालयों का नियमित उपयोग सुनिश्चित करने और खुले में शौच से मुक्त व्यवहार को छोड़ने से रोकने के लिए उनके रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों के साथ नियमित जुड़ाव को आईईसी गतिविधियों के अंतर्गत केंद्रित किया गया है, जिसके लिए राज्य स्तर पर कार्यक्रम के वित्तपोषण का 3% उपलब्ध है।”

(vi) व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण में प्रगति

1.86 वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि नए पात्र परिवारों (सभी बीपीएल परिवारों और पहचान किए गए एपीएल परिवारों जैसे एससी/एसटी परिवारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों) को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) की एक इकाई के निर्माण के लिए 12000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

1.87 20 फरवरी, 2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, जब आईएचएचएल के निर्माण के लिए 12000 रुपये की इकाई लागत सहायता को संशोधित करने की आवश्यकता पर सवाल किया गया, जिसे मुद्रास्फीति आदि के कारण लागत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 2014 में तय किया गया था, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“चूंकि विभिन्न राज्यों में शौचालयों के निर्माण की लागत अलगअलग हो सकती है, इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों से वर्तमान में दो गड्डे वाले शौचालयों की लागत का आकलन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। समिति को यथासमय यह उपलब्ध कराया जाएगा।”

(vii) शौचालयों को सिंगल पिट से ट्विन पिट में बदलना

1.89 विभाग के कथन के अनुसार, एसबीएम (जी) चरण-एक के दिशानिर्देशों (जैसा कि दिसंबर, 2018 में अद्यतित किया गया है) में यह प्रावधान किया गया है कि "मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी ग्रामीण परिवारों की सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच हो और इसलिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी विकल्प एक महत्वपूर्ण घटक है। विभिन्न सुरक्षित स्वच्छता प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकियां) हैं जैसे ट्विन पिट, सोखता गड्डे के साथ सेप्टिक टैंक, इको-सैन, जैव-शौचालय आदि। मंत्रालय, जहां भी उपयुक्त हो, ट्विन-पिट तकनीक का उपयोग करने को प्रोत्साहित करता है, तथापि, राज्य अन्य सुरक्षित प्रौद्योगिकियों का भी चयन कर सकते हैं।”

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान का 2 अक्टूबर 2022 को शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य एकल गड्डे वाले शौचालयों को दो गड्डे वाले शौचालयों में रेट्रोफिट करने की एक सरल ऑनसाइट पद्धति के माध्यम से मलीय गाद के सुरक्षित - निपटान को बढ़ावा देना है। 2 अक्टूबर से 19 नवंबर तक अभियान के पहले चरण के (आयोजना चरण) दौरान, राज्यों ने 97% गांवों का आधारभूत मूल्यांकन पूरा किया। इस प्रकार पहचाने गए एकल गड्डे वाले शौचालयों और सेप्टिक टैंकों को 26 जनवरी 2023 तक कार्यान्वयन के चरण में रेट्रोफिट किया जाना है।

1.90 20 फरवरी, 2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान विभाग ने अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में बताया कि 73.1 प्रतिशत ट्विन पिट, 13.5 प्रतिशत सेप्टिक टैंक और 12.4 प्रतिशत सिंगल पिट हैं। इसके अलावा 1,62,237 शौचालयों में रेट्रोफिटिंग की गई है, जिनमें से 97,951 सिंगल पिट्स को ट्विन पिट्स में और 64,286 सेप्टिक टैंकों में सोक पिट्स फिट किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के शौचालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति और ट्विन पिट वाले शौचालयों का प्रतिशत निम्नवत है:

विभिन्न प्रकार के शौचालयों की राज्यवार स्थिति और ट्विन पिट शौचालयों का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्यसंघ/ राज्य क्षेत्र	शौचालयों की कुल संख्या	शौचालयों के प्रकार				ट्विन पिट वाले शौचालय का %
			ट्विन पिट	सिंगल पिट	सेप्टिक टैंक	अन्य	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	40,729	2	170	40,536	21	0.00
2	आंध्र प्रदेश	74,92,614	63,67,444	6,61,655	4,22,367	41,148	84.98
3	अरुणाचल प्रदेश	2,03,976	13,323	71,053	1,18,776	824	6.53
4	असम	61,08,319	48,76,923	2,58,648	4,70,611	5,02,137	79.84
5	बिहार	1,52,16,454	1,26,24,684	1,99,317	23,67,044	25,409	82.97
6	छत्तीसगढ़	49,78,376	40,95,510	2,11,375	6,70,638	853	82.27
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	37,251	37,192	1	57	1	99.84
8	गोवा	1,56,743	63,085	0	93,213	445	40.25
9	गुजरात	61,00,474	60,73,022	23,321	1,889	2,242	99.55
10	हरियाणा	26,17,023	7,43,276	11,63,580	7,07,770	2,397	28.40
11	हिमाचल प्रदेश	14,38,082	9,824	10,99,052	3,26,895	2,311	0.68
12	जम्मू एवं कश्मीर	17,14,029	8,04,111	5,22,713	3,73,958	13,247	46.91
13	झारखंड	48,46,630	48,16,196	244	29,481	709	99.37
14	कर्नाटक	73,65,518	3,90,613	61,39,915	769,750	65,240	5.30
15	केरल	45,93,710	26,64,471	4,77,709	14,51,088	442	58.00
16	लद्दाख	35,154	828	8,090	7,511	18,725	2.36
17	लक्षद्वीप	10,850	0	0	10,850	0	0.00
18	मध्य प्रदेश	99,98,371	81,86,269	2,37,442	14,00,867	1,73,793	81.88
19	महाराष्ट्र	1,21,84,277	92,65,876	4,53,382	22,77,180	1,87,839	76.05
20	मणिपुर	4,69,422	4,68,752	359	294	17	99.86
21	मेघालय	5,27,911	1,84,044	3,25,107	17,596	1,164	34.86
22	मिजोरम	1,13,590	15,339	79,045	18,930	276	13.50
23	नागालैंड	2,70,823	79,855	1,52,125	34,154	4,689	29.49
24	ओडिशा	83,10,313	48,71,045	30,37,283	3,93,153	8,832	58.61
25	पुदुचेरी	90,647	29,182	2,251	59,212	2	32.19
26	पंजाब	29,75,065	4,88,778	390	24,85,426	471	16.43
27	राजस्थान	1,09,05,603	40,32,658	57,29,195	10,17,889	1,25,861	36.98

28	सिक्किम	47,917	1,732	32,111	14,057	17	3.61
29	तमिलनाडु	1,02,24,159	68,09,758	1,32,649	32,62,076	19,676	66.60
30	तेलंगाना	42,01,105	40,55,962	61,062	82,844	1,237	96.55
31	त्रिपुरा	8,11,517	3,36,595	3,81,408	39,116	54,398	41.48
32	उत्तर प्रदेश	2,98,08,985	2,95,49,542	9,097	2,30,231	20,115	99.13
33	उत्तराखंड	13,94,623	3,74,764	7,33,417	2,86,124	318	26.87
34	पश्चिम बंगाल	1,51,61,852	1,35,79,986	4,90,778	9,48,081	1,43,007	89.57
कुल		17,04,52,112	12,59,10,641	2,26,93,944	2,04,29,664	14,17,863	73.87

1.91 शौचालयों की रेट्रोफिटिंग के लिए वित्त पोषण के प्रावधानों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नवत सूचित किया:

“15वें वित्त आयोग से स्वच्छता के लिए दिए गए सशर्त अनुदानों से शौचालयों की रेट्रोफिटिंग की अनुमति दी गई है। हाल ही में मनरेगा के तहत भी इसकी अनुमति दी गई है। (दिनांक 18.1.2023 के आदेश द्वारा).”

1.92 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-दो के कुल अनुमानित परिव्यय में अभिसरण के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि और मनरेगा निधि की राशि पर एक स्पष्ट प्रश्न पर, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में, निम्नवत बताया:

“एसबीएम (जी) चरण-II की अवधि वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक है, जबकि स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदान, आयोग की कुल अवधि यानी 2025-26 तक के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए, वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 86,230 करोड़ रुपये के कुल स्वच्छता संबंधी सशर्त अनुदान आवंटन में से, वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित 14,571 करोड़ रुपये की राशि एसबीएम (जी) चरण-II अवधि में उपलब्ध नहीं होगी। 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का एसबीएम (जी) चरण-II कार्यक्रम अवधि के दौरान और उसके बाद भी स्वच्छता परिसंपत्तियों के ओएंडएम के लिए उपयोग किया जाना है। इसलिए, एसबीएम-जी निधियों और 15वें वित्त आयोग के स्वच्छता संबंधी सशर्त अनुदानों के साथ, गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए एसबीएम (जी) चरण-II कार्यक्रम अवधि के दौरान स्वच्छता परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अंतर को मनरेगा निधियों के साथ अभिसरण के माध्यम से कवर करने की परिकल्पना की गई है।”

1.93 सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए निर्धारित तंत्र के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने साक्ष्योपरांत लिखित उत्तर में निम्नवत सूचित किया:

“सेप्टिक टैंकों में मल पदार्थ का निपटान शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध निकटवर्ती एसटीपी-जी चरण-एफएसटीपी में किया जाना है अथवा एसबीएम/II (अर्थात् रुपये प्रति 230 के अंतर्गत (व्यक्ति की दर से तथा वें वित्त आयोग अनुदानों आदि के अभिसरण से 15 उपलब्ध वित्तपोषण सहायता के माध्यम से नए एफएसटीपी की स्थापना करके किया जाना है। राज्यों को

यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयुक्त व्यापार मॉडल के माध्यम से जिले में सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग करके सेप्टिक टैंकों को मशीनीकृत रूप से खाली किया जाए/हटाया जाए और / एफएसटीपी/ मल पदपहुंचाया जाए। यदि जिलों में व्यवसाय मॉडल व्यवहार्य नहीं है, तो इस प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को आवंटित 15 वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदानों का उपयोग किया जा सकता है।”

(viii) एसबीएम (जी) के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) सुविधाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की स्थिति

1.94 विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 20 जनवरी, 2023 तक 1,08,764 ओडीएफ प्लस - 'आकांक्षी' गांव (ठोस कचरा प्रबंधन या तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था के साथ) हैं। इसके अलावा, केवल 67,071 ओडीएफ प्लस गांवों ('उदीयमान' और 'आदर्श' सहित) में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन दोनों की सुविधा है।

1.95 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने एआईपी में लगाए गए एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के साथ कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या के लिए वर्षवार लक्ष्यों और 20 जनवरी, 2023 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	ठोस कचरा प्रबंधन से कवर किए गए गांवों की संख्या			तरल कचरा प्रबंधन से कवर किए गए गांवों की संख्या		
	एआईपी लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	एआईपी लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
2020-21	1,30,514	1,128	0.86	1,31,381	1,128	0.86
2021-22	2,07,945	58,837	28.29	1,82,517	35,718	19.57
2022-23	2,02,021	76,006	37.62	1,94,064	99,238	51.13

1.96 पिछले 3 वर्षों के दौरान एआईपी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियोजित लक्ष्यों और एसडब्ल्यूएम और एलडब्ल्यूएम के तहत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

एआईपी में एसडब्ल्यूएम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य क्षेत्र संघ राज्य/	2020-21		2021-22		2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	18	189	0	0
2	आंध्र प्रदेश	6,232	750	4,402	603	4,250	3,775

3	अरुणाचल प्रदेश	1,092	0	1,073	56	2,000	101
4	असम	2,550	0	22,953	69	22,353	283
5	बिहार	7,636	0	7,636	13	11,082	2,173
6	छत्तीसगढ़	3,526	89	4,853	2,512	8,185	911
7	दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	52	0	52	17	0	80
8	गोवा	191	0	191	0	158	243
9	गुजरात	2,200	5	3,607	1,424	5,372	3,436
10	हरियाणा	2,733	199	3,146	434	3,300	1,406
11	हिमाचल प्रदेश	2,640	7	5,338	4,434	4,905	7,768
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,000	0	1,000	1	3,017	1,124
13	झारखंड	5,040	0	6,165	430	9,752	414
14	कर्नाटक	11,211	1	7,411	4,450	14,291	17,993
15	केरल	500	0	500	577	700	92
16	लद्दाख		0	228	0	230	22
17	लक्षद्वीप		0		0	9	9
18	मध्य प्रदेश	5,561	0	22,060	5,232	15,890	14,057
19	महाराष्ट्र	6,218	0	22,173	1,448	27,345	3,754
20	मणिपुर	876	5	1,536	1	1,185	12
21	मेघालय	5,163	0	4,776	606	2,390	134
22	मिजोरम	309	0	259	156	300	120
23	नागालैंड	152	0	175	17	349	417
24	ओडिशा	9,357	0	14,036	4,341	23,392	10,471
25	पुदुचेरी	108	0	108	60	108	7
26	पंजाब	3,406	8	2,355	187	2,028	48
27	राजस्थान	8,653	0	17,306	686	11,376	4,338
28	सिक्किम	221	11	271	107	245	125
29	तमिलनाडु		0	0	12,173	4,718	72
30	तेलंगाना	12,769	22	2,128	12,711	0	36
31	त्रिपुरा	247	0	350	6	500	35
32	उत्तर प्रदेश	22,710	0	41,443	3,112	4,723	5,590
33	उत्तराखंड	2,551	31	1,896	2,651	3,468	761
34	पश्चिम बंगाल	5,610	0	8,500	134	14,400	441
	कुल -:	1,30,514	1,128	2,07,945	58,837	2,02,021	80,248

एआईपी में एलडब्ल्यूएम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र .सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र/	2020-21		2021-22		2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	186	0	0	189	0	0
2	आंध्र प्रदेश	6,679	750	7,997	255	3,500	333
3	अरुणाचल प्रदेश	1,092	0	1,073	45	2,000	123
4	असम	2,550	0	33	12	10,000	90
5	बिहार	7,636	0	7,636	41	11,082	8,273
6	छत्तीसगढ़	4,130	89	4,853	3,246	8,076	2,936
7	दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	0	52	15	73	82
8	गोवा	45	0	191	0	158	24
9	गुजरात	2,050	5	3,607	1,038	5,333	3,902
10	हरियाणा	2,087	199	2,671	361	1,650	946
11	हिमाचल प्रदेश	2,640	7	5,338	4,220	4,906	7,733
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,180	0	1,000	0	2,937	3,777
13	झारखंड	5,040	0	6,165	493	9,752	2,585
14	कर्नाटक	6,982	1	3,776	139	13,050	159
15	केरल	500	0	500	565	500	86
16	लद्दाख		0	50	0	239	63
17	लक्षद्वीप		0		0	1	9
18	मध्य प्रदेश	5,195	0	22,061	5,125	15,890	22,554
19	महाराष्ट्र	6,275	0	22,173	1,454	27,672	5,245
20	मणिपुर	1,273	5	1,531	2	1,183	17
21	मेघालय	5,163	0	4,776	511	2,390	137
22	मिजोरम	309	0	259	131	250	101
23	नागालैंड	152	0	175	15	678	379
24	ओडिशा	18,714	0	14,036	5,049	23,392	10,701
25	पुदुचेरी	36	0	21	2	59	1
26	पंजाब	3,406	8	2,355	488	2,946	152
27	राजस्थान	8,653	0	17,306	2,031	11,733	10,913
28	सिक्किम	221	11	271	107	245	113
29	तमिलनाडु	2,622	0	1,622	227	4,718	13
30	तेलंगाना	2,800	22	455	4,284	6,560	2,100
31	त्रिपुरा	247	0	350	1	500	83

32	उत्तर प्रदेश	22,710	0	41,443	3,237	4,723	26,977
33	उत्तराखंड	2,551	31	1,896	2,402	3,468	1,183
34	पश्चिम बंगाल	8,257	0	6,845	33	14,400	1,471
	कुल -:	1,31,381	1,128	1,82,517	35,718	1,94,064	1,13,261

1.97 यह पूछे जाने पर कि क्या देश के सभी 5,97,399 गाँवों में स्थायी ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित समयावधि में प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के निर्माण से संबंधित कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“पिछले दो वित्तीय वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में काफी सुधार हुआ है। यद्यपि पिछले दो वर्षों के दौरान कुल 47 498 गाँवों ,ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया है ,जबकि 23-2022) के दौरान (09.02.2023तक1,48,149 ,) गाँवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। यह उम्मीद की जाती है कि राज्यों के साथ नियमित जुड़ाव अनुवर्ती ,कार्रवाई और समन्वय के साथ कार्यान्वयन की 2024-25 तक गति में और सुधार होगा और-संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ओडीएफ प्लस /राज्यो के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।”

(ix) गाँवों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन

1.98 एसबीएम-जी चरण-द्वितीय दिशानिर्देश प्रत्येक ब्लॉक में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (पीडब्ल्यूएमयू) स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की परिकल्पना करते हैं। गाइडलाइन के अनुसार, एक गांव को स्वच्छ गांव के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि 80%घरों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम कूड़ा और न्यूनतम स्थिर पानी पाया जाता है और गांव में डंप के रूप में प्लास्टिक कचरे का जमाव नहीं होता है।

1.99 20 फरवरी, 2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, विभाग के एक प्रतिनिधि ने अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में समिति को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों के बारे में सूचित किया:

“प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) के लिए ग्राम पंचायत स्तर की गतिविधियाँ:

- अन्य कचरे के साथ-साथ प्लास्टिक कचरे का डोर-टू-डोर संग्रह
- गांव में निर्मित/उपलब्ध आम गांव शेड में प्लास्टिक कचरे का पृथक्करण और भंडारण
- पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे को विक्रेताओं को बेचना
- बचे हुए प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक स्तरीय पीडब्ल्यूएम यूनिट में भेजना

पीडब्ल्यूएम के लिए ब्लॉक/जिला स्तर के कार्यकलाप :

- बेलिंग और श्रेडिंग के लिए ब्लॉक स्तरीय पीडब्ल्यूएम यूनिट की स्थापना और संचालन
- रिकवरी के लिए फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करना (सड़क निर्माण में उपयोग या सीमेंट भट्टों में प्लास्टिक का सह-प्रसंस्करण)”

1.100 समिति को सूचित किया गया है कि आईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 09.02.2023 की स्थिति के अनुसार 517 ब्लॉकों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां (पीडब्ल्यूएमयू) प्रचालनरत हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लॉकों की कुल संख्या	परिचालन पीडब्ल्यूएमयू वाले ब्लॉकों की कुल संख्या	प्रतिशतता
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह समूह	7	0	0%
2	आंध्र प्रदेश	660	0	0%
3	अरुणाचल प्रदेश	113	0	0%
4	असम	249	5	2%
5	बिहार	534	12	2%
6	छत्तीसगढ़	146	0	0%
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	3	0	0%
8	गोवा	12	0	0%
9	गुजरात	250	7	3%
10	हरियाणा	143	8	6%
11	हिमाचल प्रदेश	81	14	17%
12	जम्मू और कश्मीर	285	0	0%
13	झारखंड	266	13	5%
14	कर्नाटक	232	4	2%
15	केरल	158	27	17%
16	लद्दाख	31	15	48%
17	लक्षद्वीप	9	0	0%
18	मध्य प्रदेश	313	5	2%
19	महाराष्ट्र	352	1	0%
20	मणिपुर	44	4	9%

21	मेघालय	41	0	0%
22	मिजोरम	26	6	23%
23	नागालैंड	74	0	0%
24	ओडिशा	314	226	72%
25	पुदुचेरी	3	0	0%
26	पंजाब	153	0	0%
27	राजस्थान	352	2	1%
28	सिक्किम	32	0	0%
29	तमिलनाडु	388	158	41%
30	तेलंगाना	540	0	0%
31	त्रिपुरा	58	0	0%
32	उत्तर प्रदेश	828	5	1%
33	उत्तराखंड	95	5	5%
34	पश्चिम बंगाल	345	0	0%
कुल		7137	517	7%

1.101 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुविधा के लिए आबंटित और राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

“एसबीएम (जी) के अंतर्गत, गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन कार्यकलापों के लिए 5000 की आबादी तक के गांवों के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति और 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए 45 रुपये प्रति व्यक्ति की अनुमति है, जिसमें कचरे के डोर टू डोर संग्रह के लिए बैटरी वाहनों/तिपहिया साइकिलों की खरीद और गांवों के क्लस्टर में संग्रह और पृथक्करण केंद्रों की स्थापना शामिल है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों (पीडब्ल्यूएमयू) की स्थापना के लिए, इस कार्यक्रम के तहत प्रति ब्लॉक 16 लाख रुपये की वित्तपोषण सहायता प्रदान की जाती है। इन गतिविधियों और अन्य प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए आरएलबी को 15वें वित्त आयोग के अनुदान से अतिरिक्त निधियां प्रदान की जा सकती हैं। एसबीएम (जी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को घटक-वार निधियां आबंटित/जारी नहीं की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार, सभी अनुमेय गतिविधियों के लिए निधियों का उपयोग कर सकते हैं।”

1.102 यह पूछे जाने पर कि एसबीएम (जी) II के प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित कचरा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट समस्याएं क्या हैं और ग्रामीण भारत में स्वच्छ और साफ रहन-सहन स्तर प्राप्त करने के लिए इन समस्याओं का कैसे निराकरण किया जा सकता है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एक से अधिक ब्लॉकों के लिए क्लस्टर मोड में पीडब्ल्यूएमयू की स्थापना और ग्रामीण-शहरी अभिसरण के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की आवश्यकता

व्यक्त की है। इसके लिए डीडीडब्ल्यूएस ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की है कि आवश्यकता के आधार पर ऐसे ब्लॉकों की समग्र निधियों की उपलब्धता के भीतर एक से अधिक ब्लॉकों के लिए पीडब्ल्यूएमयू को क्लस्टर मोड में स्थापित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एक संयुक्त परामर्शिका जारी की गई है।”

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां / सिफारिशें

पेयजल और स्वच्छता विभाग का बजट विश्लेषण

2.1 समिति पाती है कि “पेयजल आपूर्ति” और “स्वच्छता” राज्य के विषय होने के कारण, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग को मुख्य रूप से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने की भूमिका दी गई है। विभाग केंद्र प्रायोजित योजनाओं जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2023-24 के लिए विभाग के समग्र बजट आवंटन में 2022-23 के बजट अनुमान (67,221.12 रुपये) की तुलना में 10,001.88 करोड़ रुपये (14.88 प्रतिशत) और 2022-23 के संशोधित अनुमान (60,029.12 रुपये) की तुलना में 17,193.88 करोड़ रुपये (28.64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। समिति नोट करती है कि पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान दोनों प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा निधियों का वास्तविक उपयोग संशोधित अनुमान आवंटन से कम रहा, जो दर्शाता है कि संभावित व्यय के अनुमान वास्तव में प्राप्त नहीं किए जा सके। तथापि, विभाग ने बजट अनुमान स्तर पर आवंटन में वृद्धि करना जारी रखा जिसे बाद में संशोधित अनुमान स्तर पर संशोधित करके कम कर दिया गया और वास्तव में जारी की गई राशि अनुमानों से कम थी। इसलिए, समिति का मत है कि निधियों का उपयोग करने की राज्यों की क्षमता के आधार पर किए जाने वाले कार्यकलापों और व्यय के भावी अनुमानों का अधिक व्यावहारिक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए, योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति में अब तक बाधा डालने वाले अंतर्निहित कारकों का भी समाधान किए जाने की आवश्यकता है। 19.36 करोड़ घरों के लिए नल जल की व्यवस्था करने और 5,97,399 गांवों में स्थायी स्वच्छता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए, जो वास्तव में एक विशालकाय कार्य है और इसके लिए दोनों भागीदारों, अर्थात् राज्यों और केंद्र को एक साथ काम करने की आवश्यकता है, समिति का मत है कि दोनों योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन में अब तक जिन विशेष कठिनाइयों/अवरोधों से बाधा आई है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग जेजेएम और एसबीएम (जी) की प्रशंसनीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और वास्तविक व्यय में किए गए सुधार के लिए की गई विशेष कार्रवाई से उन्हें अवगत कराए।

(सिफारिश क्रम सं.1)

जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि

2.2 समिति नोट करती है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम), जिसे अगस्त, 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जा रहा है, आज की स्थिति के अनुसार अब तक 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.15 करोड़ (57.5 प्रतिशत) से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नल जल

की आपूर्ति करने में सफल रहा है। समिति हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक नल जल कनेक्शन देकर सभी ग्रामीण परिवारों के 100 प्रतिशत कवरेज की उपलब्धि की सराहना करती है। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि बिहार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश 95 प्रतिशत से अधिक घरों में कार्यात्मक नल जल आपूर्ति करने में सफल रहे हैं और आशा है कि जल्द ही ये राज्य भी जेजेएम के अंतर्गत पूर्ण कवरेज की उपलब्धि हासिल कर लेंगे। समिति नोट करती है कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों सहित 13 लक्षित राज्यों में अभी भी कार्य का बड़ा हिस्सा पूरा किया जाना बाकी है, जिन्होंने अब तक केवल 29.56 प्रतिशत, 30.21 प्रतिशत, 30.30 प्रतिशत, 30.53 प्रतिशत, 31.58 प्रतिशत और 38.81 प्रतिशत कवरेज हासिल किया है। समिति पाती है कि बहु ग्राम योजनाओं की लंबी अवधि, भूजल में दूषित पदार्थों की उपस्थिति, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थायी भूजल स्रोतों की कमी, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में भू-भाग की चुनौतियों, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 महामारी, संबंधित लॉकडाउन आदि से इन राज्यों में जेजेएम के कार्यान्वयन की गति काफी प्रभावित हुई है। विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करने, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाओं/सम्मेलनों/वेबिनारों का आयोजन करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र का दौरा करने, कार्यान्वयन एजेंसियों/ग्राम पंचायतों और अन्य हितधारकों के लिए उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें करने और परियोजना प्रबंधन इकाइयों आदि सहित विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक जनशक्ति में वृद्धि के प्रावधान जैसे कई कदम उठाए हैं और अधिकांश राज्यों में कार्यों में तेजी लाने के लिए इसके परिणाम अभी देखे जाने हैं। समिति का मत है कि चूंकि योजना के सफल कार्यान्वयन में राज्य समान भागीदार हैं, इसलिए पीछे चल रहे प्रत्येक राज्य में जो विशेष समस्याएं हैं, उनकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग राज्य विशिष्ट समस्याओं पर विचार करे और लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति के लिए जेजेएम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उपयुक्त उपाय तैयार करे।

(सिफारिश क्रम सं. 2)

जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन - कुछ व्यावहारिक मुद्दे

2.3 समिति नोट करती है कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में, जहां वास्तविक कार्य 2021 में शुरू हुआ था, वास्तव में घरों का दौरा / भौतिक सर्वेक्षण किए बिना सर्वेक्षण किए गए और जल्दबाजी में गूगल इमेज के माध्यम से जानकारी अपलोड की गई, जिसके परिणामस्वरूप गांवों में कई घर छूट गए, जिससे एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में डेटा की दोषपूर्ण रिपोर्टिंग हुई। इसके अलावा, कई स्थानों पर, जल आपूर्ति स्रोत के उचित मूल्यांकन के बिना जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे पाइप से जल आपूर्ति के निष्पादन में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार, यद्यपि 87.46 प्रतिशत स्कूलों और 82.63 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई है, भौतिक सत्यापन के द्वारा इन नलों से जल की वास्तविक उपलब्धता को सत्यापित

करने की आवश्यकता है। हालांकि जिला नोडल अधिकारियों को जिला स्तर के आंकड़ों को दर्ज करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे आगे राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर, अगस्त, 2022 से राष्ट्रीय वाश विशेषज्ञ (एनईडब्ल्यू) नियुक्त किए गए हैं, समिति का मानना है कि योजना को केवल तभी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है जब स्थानीय अधिकारियों को सत्यापन कार्य दिया जाए। वास्तविक समय के आधार पर स्थानीय निगरानी और पाइप से जल के कार्यात्मक बुनियादी ढांचे की रिपोर्टिंग न केवल तथ्यात्मक जानकारी में विसंगति को रोकने में एक बड़ा कदम होगी, बल्कि सुधारात्मक उपायों को अपनाने के लिए सही फीडबैक भी प्रदान करेगी। इसके लिए, जमीनी स्तर पर काम की निगरानी को सुविधाजनक बनाने और किए गए कार्यों की वास्तविक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र अधिकारियों (प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के लिए नामित) की तर्ज पर प्रत्येक जिले के लिए अधिकारियों को नामित किया जाए। समिति की राय है कि निर्धारित अवधि के भीतर नियमित सुनिश्चित जल आपूर्ति के साथ गांव के घरों के 100 प्रतिशत कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्यान्वयन के ये व्यावहारिक मुद्दे, यदि हल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से जेजेएम एक उपयोगी मिशन बन जाएगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग इन मुद्दों पर ध्यान दे और इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से सुधारात्मक कदम उठाए और इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर उन्हें ऐसे उपायों के ब्यौरे से अवगत कराए।

(सिफारिश क्रम सं. 3)

जल जीवन मिशन के तहत बजट आवंटन और निधियों का उपयोग

2.4 समिति पाती है कि वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान चरण में जेजेएम के तहत 70,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो कि वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से 10,000 करोड़ रुपये (16.66%) और वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से 15,000 करोड़ रुपये (27.27%) अधिक है। तथापि, 13 फरवरी, 2023 तक, वर्ष 2022-23 में पात्र राज्यों को राशि जारी करने के माध्यम से विभाग केवल 34,628.52 करोड़ रुपये की राशि का ही उपयोग कर सका है, जोकि आरई 2022-23 में आवंटित 55000 करोड़ रुपये का 63% है। एक ओर जेजेएम के कार्यान्वयन को पूरा करने की लक्षित तिथि तेजी से निकट आ रही है, जबकि बाद में आरई स्तर पर आवंटन में कमी करने के बावजूद, वित्त वर्ष 2021-22 से वास्तविक व्यय में लगातार कमी देखी जा रही है। विभाग के इस निवेदन को ध्यान में रखते हुए कि जेजेएम के तहत कार्य की गति अगले वित्त वर्ष में तेज हो जाएगी, समिति मानती है कि जब तक शेष कार्यों को युद्धस्तर पर निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा (55 एलपीसीडी) में कार्यात्मक नल जल के नेटवर्क के तहत लाने का लक्ष्य 31.12.2024 तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समिति, विभाग से जेजेएम के तहत आवंटित निधियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्रम सं. 4)

राज्यों में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए विशेष सहायता

2.5 समिति नोट करती है कि निधियों के कम उपयोग का एक प्रमुख कारण राज्य की हिस्सेदारी जारी करने में विलंब है। समिति पाती है कि पाँच राज्य यथा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा ने केंद्रीय निधियों का 25% से कम उपयोग किया, जबकि तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मणिपुर ने जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन का ठीक 25% उपयोग किया। जेजेएम के तहत आवंटित केंद्रीय निधियों के कम उपयोग के लिए महामारी और संबंधित लॉकडाउन के दौरान निधियों की व्यवस्था करने में राज्यों की अक्षमता को जिम्मेदार ठहराया गया है। समिति मानती है कि वित्तीय संकट के अलावा, लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त बोझ ने राज्यों के लिए जेजेएम के तहत परियोजनाओं/कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समय पर हिस्सेदारी जारी करने में भी बाधा उत्पन्न की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के 100 प्रतिशत कवरेज को प्राप्त करने की एक पूर्व आवश्यकता है। समिति नोट करती है कि राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ विशेष सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें से वर्ष 2022-23 में जेजेएम के तहत कार्यों के लिए 4,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि व्यय विभाग इस मामले में नोडल एजेंसी है और राज्य सीधे उनके पास अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और इसलिए योजना के तहत निधि उपयोग के लिए कोई डेटा पेयजल और स्वच्छता विभाग में नहीं रखा जाता है। राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बहुत आवश्यक कदम की प्रशंसा करते हुए, समिति पाती है कि अब तक राज्यों को निधि जारी करने पर प्रभाव योग्य प्रभाव नहीं देखा गया है। इसलिए, समिति, विभाग से इस योजना के तहत उपलब्ध ऋण की मात्रा के साथ विशेष सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों, उनमें से प्रत्येक के द्वारा जेजेएम की शुरुआत से इसके लिए मांगी गई, प्राप्त की गई और उपयोग की गई राशि, उपयोग नहीं करने के कारण इत्यादि का विवरण प्रस्तुत करने की सिफारिश करती है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग राज्यों से उन्हें जेजेएम के कार्यों को तेजी से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए इस सहायता का लाभ उठाने का आग्रह करे।

(सिफारिश क्रम सं. 5)

जलापूर्ति अवसंरचना के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का प्रावधान

2.6 समिति को यह बताया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत, ग्राम पंचायतों (जीपी) या इसकी उप-समितियों को जल आपूर्ति अवसंरचना के प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित करना और अन्य स्रोतों से उपलब्ध निधियों के उपयोग की योजना बनाना है। समिति नोट करती है कि जल आपूर्ति योजनाओं के सतत संचालन और रखरखाव के लिए, जेजेएम के तहत, योजना के शुरू होने के बाद समुदाय को उनके संबंधित गांव में जलापूर्ति योजना पर पूंजीगत व्यय की 10% राशि चरणबद्ध तरीके से पुरस्कार/प्रोत्साहन के तौर पर देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना के ओएंडएम पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए 'रिवॉल्विंग फंड' के रूप में काम

करेगा। जल आपूर्ति अवसंरचना के स्थायी ओएंडएम के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के प्रावधान के माध्यम से स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना सौंपने के इरादे की सराहना करते हुए, समिति इस तथ्य को नोट करती है कि वास्तव में, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने का अधिकार नहीं है और उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और एकत्र करने के लिए नामित प्राधिकारी स्पष्ट नहीं है इसलिए ग्राम पंचायतें (जी पी) बिल्कुल भी उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र नहीं कर रही हैं। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि ग्राम पंचायतों को संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए मानक तंत्र, विशेष रूप से पाइपलाइन के माध्यम से जल की आपूर्ति के लिए एकल ग्राम प्रणाली के तहत बनाई गई नई संपत्तियों के मामले में निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, मरम्मत और रखरखाव के कार्यों के लिए धन का कोई स्थायी स्रोत उपलब्ध नहीं होता है। अतः, समिति, विभाग को सिफारिश करती है कि कुशल सेवा वितरण और रखरखाव करने के लिए पाइप से पानी पहुंचाने के लिए आधारभूत संरचना/परिसंपत्ति सृजित होने के बाद ग्राम पंचायतों के लिए एक मानक हस्तांतरण/वितरण प्रक्रिया तैयार की जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 6)

गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति

2.7 समिति नोट करती है कि 11 राज्यों में फैली 57,539 जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों जैसा कि 15 अगस्त, 2019 को बताया गया था, में से 15 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार 35,659 बस्तियों में आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि, 21,880 बस्तियों में से 652 बस्तियां आर्सेनिक से प्रभावित हैं 461 फ्लोराइड से, 10,325 आयरन से, 9,909 लवणता से, 509 नाइट्रेट से, और 89 भारी धातुओं से प्रभावित हैं जिनमें अभी तक स्वच्छ पेयजल मुहैया नहीं कराया गया है। यद्यपि आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में अधिकांश बस्तियों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की अस्थायी व्यवस्था की गई है, अन्य प्रदूषकों के मामले में ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया है। चूंकि, अन्य प्रदूषक भी स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, समिति महसूस करती है कि 50% गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में रहने वाली शेष आबादी को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों में भी अस्थायी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अतः, समिति, विभाग को सिफारिश करती है कि राज्यों से आग्रह करें कि जब तक कि जेजेएम के तहत संदूषण समस्या के स्थायी समाधान करने के लिए उपाय करने के अलावा एक अच्छी गुणवत्ता वाले स्रोत से ऐसी सभी बस्तियों को पाइप द्वारा पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है, ऐसे उपाय करें जो तत्काल समाधान प्रदान कर सकें जैसे कि स्वच्छ और साफ पेयजल ले जाने वाले मोबाइल वॉटर वैन/टैंकर या छोटे जल शोधन डिस्पेंसर लगाना समिति को आज की तारीख तक गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को स्थायी अच्छी गुणवत्ता वाली चालू नल जल आपूर्ति प्रदान करने में हुई प्रगति के बारे में भी बतायें है।

(सिफारिश क्रम सं. 7)

जल आपूर्ति सेवा और गुणवत्ता परीक्षण को अलग करना

2.8 समिति नोट करती है कि जल आपूर्ति/जल और स्वच्छता/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और/अथवा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पैरास्टेटल संगठन अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जल आपूर्ति का प्रावधान करने और आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। समिति यह भी नोट करती है कि पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण ढांचे के अनुसार, राज्यों को विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित करने के लिए जल सेवा वितरण और जल गुणवत्ता परीक्षण के कार्यों को अलग-अलग करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, समिति अच्छी गुणवत्ता वाले पेयजल उपलब्ध कराने में मौजूदा चुनौतियों के संबंध में विभाग के उत्तर को भी नोट करती है, जैसे पेयजल स्रोतों का नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं होना, सार्वजनिक जल आपूर्ति वितरण केन्द्र के आसपास अस्वच्छ वातावरण, आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नवीन प्रौद्योगिकी की कमी आदि। हालांकि जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग किया जा रहा है, फिर भी ये परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः समिति का मत है कि जल आपूर्ति का कार्य और आपूर्ति की गई जल की गुणवत्ता की निगरानी अलग-अलग एजेंसियों को सौंपने से अच्छी गुणवत्ता वाले जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में बड़ा लाभ होगा। इसलिए, समिति विभाग से इस पहलू को सुदृढ़ करने की सिफारिश करती है और राज्य सरकारों से जल आपूर्ति सेवा को अलग करने और इसकी निगरानी के लिए कदम उठाने का आग्रह करती है। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से यथाशीघ्र अवगत होना चाहेगी।

(सिफारिश क्रम सं. 8)

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को बढ़ाना

2.9 समिति नोट करती है कि जेजेएम के तहत आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार बुनियादी जल गुणवत्ता के मापदंडों के लिए कम-से-कम पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन/मान्यता पर जोर दिया गया है। समिति नोट करती है कि 13.02.2023 तक, राज्य, जिला, अनुमंडल और / या ब्लॉक स्तरों पर 2,076 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 1,067 प्रयोगशालाएं मान्यता प्राप्त / प्रत्यायित हैं। तथापि, समिति यह पाती है कि झारखंड, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में जिला स्तर की तुलना में ब्लॉक स्तर पर बहुत कम जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही, अब तक लगभग 50% प्रयोगशालाएँ एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि, आवंटन का 2% जल गुणवत्ता निगरानी और सर्विलैन्स के लिए राज्यों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, फिर भी समिति यह पाती है कि गांवों में अच्छी गुणवत्ता वाले पीने योग्य पानी को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण अभी तक गति नहीं पकड़ा है। इसलिए, समिति विभाग को इस संबंध में अत्यधिक उपाय करने की सिफारिश करती है जिससे कि मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क पूरे देश में फैलाया जा सके।

(सिफारिश क्रम सं. 9)

एसबीएम (जी) II का वास्तविक कार्यानिष्पादन

2.10 समिति नोट करती है कि मांग के अनुसार व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) के निर्माण के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति एवं ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) एसबीएम (जी) II का मुख्य केन्द्र बिंदु हैं। तथापि, अब तक, प्रारंभिक योजना, अपेक्षित तकनीकी क्षमता न होने और महामारी की व्यापकता आदि जैसे कारणों से एसबीएम (जी) के चरण-II का निष्पादन फीका रहा है। परिणामस्वरूप, मात्रात्मक (एसएलडब्ल्यूएम और आईएचएचएल तथा सीएससी का निर्माण) और गुणात्मक (ओडीएफ स्थिरता) संकेतकों में सुधार के संदर्भ में लक्ष्य अभी भी उपलब्धि से दूर हैं, क्योंकि अब तक, 5,97,399 गांवों में से, 1,40,213 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, 1,50,107 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा और 1,95,647 गांवों में ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया गया है। समिति नोट करती है कि विशेष रूप से 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, त्रिपुरा, मेघालय, झारखंड, महाराष्ट्र और लद्दाख ने उपर्युक्त कारकों के साथ-साथ राज्य विशिष्ट मुद्दों, जैसे दूरस्थ क्षेत्रों, दुर्गम भू-भाग, जल भूवैज्ञानिक स्थितियों आदि के कारण इस योजना के तहत बहुत धीमी प्रगति दर्ज की गई है। हालांकि विभाग ने कई कदम उठाए हैं, जैसे सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा क्षमता निर्माण के लिए आवंटित कार्यक्रम निधि के 3% का प्रावधान, जमीनी स्तर पर प्रभावी अभिसरण के लिए संयुक्त सलाह, ओडीएफ पर प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स (एमटी) का निर्माण प्लस एंड हैंडहोल्ड जीपी और गांवों को अपनी ओडीएफ प्लस ग्राम स्वच्छता योजनाओं को तैयार करना और उन्हें लागू करना, राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम और 15 वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदानों के उपयोग के लिए मैनुअल, आदि ताकि राज्यों को कचरे के स्थायी प्रबंधन के लिए कार्यों को लागू करने में सक्षम बनाया जा सके। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए समिति की राय है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रगति को गति देने के लिए राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ अधिक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

(सिफारिश क्रम सं. 10)

वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (एआईपी) को समय पर तैयार करना

2.11 समिति यह पाती है कि एआईपी अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले कार्यों के लिए ब्लूप्रिंट होती है। समिति नोट करती है कि पिछले वित्त वर्ष के फरवरी-मार्च में अलग-अलग राज्यों के साथ योजना मूल्यांकन समिति की बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समेकित एआईपी पर चर्चा की गई थी। तत्पश्चात, एसबीएम (जी) की राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति राज्यों को निधियों के आवंटन हेतु संबंधित वित्त वर्ष की शुरुआत में एआईपी को मंजूरी देती है। समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (एआईपी) पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और राज्यों से एसबीएम (जी) के तहत वर्ष 2023-24 के लिए एआईपी प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एआईपी के तहत परिकल्पित किए जाने वाले कार्यकलापों/परियोजनाओं/कार्यों और कार्यों की वास्तविक प्रगति में बड़ा अंतर है, समिति यह पाती है कि

ये योजनाएं जमीनी हकीकत के अनुरूप नहीं हैं। परिणामस्वरूप, इन योजनाओं ने अपना महत्व खो दिया है, क्योंकि एआईपी की तैयारी के दौरान परिकल्पित प्रस्तावित कार्यों को शुरू करने की प्रारंभिक प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया गया है। चूंकि, ये योजनाएँ गाँव/ब्लॉक/जिला कार्य योजनाओं का समामेलन हैं, उर्ध्व दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए, समिति का मानना है कि इन स्तरों पर प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए और अंतरण हेतु कारण, यदि कोई हो तो उसे रिकार्ड किया जाना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर इसका निपटान किया जाना चाहिए। एआईपी के तहत नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति में एक अन्य महत्वपूर्ण कारक एआईपी की समय पर तैयारी और अनुमोदन है, इसे विशेष रूप से वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाए ताकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ निधियों को जारी किया जा सके और परियोजनाओं को योजना के अनुसार लागू किया जा सके। इसलिए, समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह अप्रैल के पहले सप्ताह से निधियां जारी करने हेतु एआईपी तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा करे।

(सिफारिश क्रम सं. 11)

एसबीएम (जी) के तहत वित्तीय कार्यनिष्पादन

2.12 समिति यह पाती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कम उपयोग की प्रवृत्ति, जिसका उल्लेख उन्होंने अनुदानों की मांगों संबंधी अपने पिछले प्रतिवेदनों में किया था, वर्ष 2022-23 के दौरान भी देखी गई है। समिति यह नोट करती है कि विभाग संशोधित अनुमान स्तर पर पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2020-21 और 2021-22 में लगभग 60 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 में 69 प्रतिशत की कटौती के बावजूद संशोधित बजट आवंटन का उपयोग नहीं कर सका जबकि उपयोग की गई राशि वर्ष 2020-21 में 82.47 प्रतिशत, वर्ष 2021-22 में 51.86 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 में 57.53 प्रतिशत (9 फरवरी, 2023 तक) बताई गई। हालाँकि, इस उपयोग का लगभग 15 से 17 प्रतिशत अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के लिए ब्याज के भुगतान के लिए किया गया है जो वर्ष 2020-21 में रु 1031.03 (17.18 प्रतिशत) वर्ष 2020-21 में रु.1032.89 (17.21 प्रतिशत) और वर्ष 2022-23 में 9 फरवरी, 2023 तक रु 771.99 (15.44 प्रतिशत) था। इससे यह पता चलता है कि निधियों का प्रभावी उपयोग और भी कम रहा है। योजना के चरण II के वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग को सिफारिश करती है कि वह कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन को रोकने वाले मुद्दों/चुनौतियों से निपटने हेतु अपने प्रयासों को गति प्रदान करे और लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु संबंधित एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ उक्त मामले को और सक्रिय रूप से उठाए।

(सिफारिश क्रम सं. 12)

एसबीएम (जी) II के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य के हिस्से की निधियां जारी करना

2.13 समिति नोट करती है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियां जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में, वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज कोष में केंद्र के हिस्से की निधि प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर योजनाओं के सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) को कोष से निधियां जारी की जानी

है और इसी प्रकार केंद्र के हिस्से की निधि प्राप्त होने के 40 दिनों के भीतर संबंधित राज्य के हिस्से की निधियां जारी की जानी है। तथापि, विभाग द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे 10 राज्यों ने वर्ष 2022-23 में निधियां जारी करने में 67 से लेकर 165 दिनों तक की अवधि के विलंब की सूचना दी है, जिससे परियोजनाओं का कार्यनिष्पादन प्रभावित हुआ है। चूंकि, केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों से समय पर निधियां जारी होने पर ही समय से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग राज्यों के संसाधनों की कमी के मुद्दे सहित इसके कारण और समाधान के लिए उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराए ।

(सिफारिश क्रम सं. 13)

व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए इकाई को दी गई सहायता की समीक्षा

2.14 समिति नोट करती है कि ओडीएफ स्थिरता हासिल करने के लिए, एसबीएम-जी चरण-दो में छूटे हुए और नए परिवारों के लिए आईएचएचएल के निर्माण का प्रावधान और उन परिवारों, जिनके पास आईएचएचएल के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, पलायन और प्रवासी आबादी तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों के लिए सीएससी के निर्माण का प्रावधान किया गया है। समिति आगे नोट करती है कि नए पात्र परिवारों (सभी बीपीएल परिवारों और पहचान किए गए एपीएल परिवारों जैसे एससी/एसटी परिवारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों) को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) की एक इकाई के निर्माण के लिए 12000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, समिति का मत है कि, बढ़ती आदान लागत और लक्षित लाभार्थियों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहायता राशि बढ़ाने की आवश्यकता है, खासकर महामारी के बाद जब उनमें से कई लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इस संबंध में, देश के विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों से वर्तमान में ट्विन पिट शौचालयों की लागत का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करते हुए, समिति आशा करती है कि विभाग यथा सुनिश्चित लागत की समीक्षा करेगा और इसे उचित रूप से संशोधित करेगा ताकि उपरोक्त सभी श्रेणियों के परिवारों को स्वयं के शौचालयों का निर्माण करने और इनका उपयोग करने तथा व्यवहारिक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(सिफारिश क्रम सं. 14)

शौचालयों की सिंगल पिट से ट्विन पिट में रेट्रोफिटिंग करना

2.15 समिति नोट करती है कि एसबीएम (जी) चरण-एक में स्वच्छता के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी के विकल्प पर जोर दिया गया । समिति यह भी नोट करती है कि राज्यों को जहां भी उपयुक्त हो, ट्विन-पिट तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्य सुरक्षित प्रौद्योगिकियों को भी चुनने का विकल्प दिया गया है। विभाग ने जानकारी दी कि 73.1 प्रतिशत ट्विन पिट, 13.5 प्रतिशत सेप्टिक टैंक और 12.4 प्रतिशत सिंगल पिट हैं। जिन 1,62,237 शौचालयों को रेट्रोफिट किया गया है, उनमें से

97,951 सिंगल पिट हैं, जिन्हें ट्विन पिट्स में रेट्रोफिट किया गया है और 64,286 सेप्टिक टैंकों में सोक पिट फिट किए गए हैं। तथापि, समिति पाती है कि अभी भी कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां अधिकांश शौचालय सिंगल पिट हैं और इन्हें रेट्रोफिट करने की आवश्यकता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में (6.53 प्रतिशत), गोवा में (40.25 प्रतिशत), हरियाणा में (28.4 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश में (0.68 प्रतिशत), कर्नाटक में (5.30 प्रतिशत), लद्दाख में (2.36 प्रतिशत), मेघालय में (34.86 प्रतिशत), मिजोरम में (13.50 प्रतिशत), नागालैंड में (29.49 प्रतिशत), पुदुचेरी में (32.19 प्रतिशत) और पंजाब में (32.19 प्रतिशत) राजस्थान में (36.98 प्रतिशत) सिक्कम में (3.61 प्रतिशत) और उत्तराखंड में (26.87 प्रतिशत)। समिति आगे नोट करती है कि इस प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग 15 वें वित्त आयोग से सशर्त अनुदान और मनरेगा निधि से किया जा सकता है, जिसके लिए हाल ही में 18 जनवरी, 2023 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। समिति आशा करती है कि सशर्त अनुदानों और मनरेगा निधियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई वित्तपोषण सहायता से शेष शौचालयों और सेप्टिक टैंकों की रेट्रोफिटिंग निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर पूरे किए गए रेट्रोफिटिंग कार्य के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे से उसे अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 15)

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) सुविधाओं की स्थिति

2.16 समिति नोट करती है कि 20 जनवरी, 2023 तक, 1,08,764 ओडीएफ प्लस - 'आकांक्षी' गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था थी और 67,071 ओडीएफ प्लस गांव ('राइजिंग' और 'मॉडल' सहित) थे, जिनमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, दोनों सुविधा हैं। तथापि, समिति पाती है कि एसएलडब्ल्यूएम अवसंरचना से कवर किए जाने वाले गांवों की लक्षित संख्या के संदर्भ में, केवल 37.62% गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सका, जबकि 51.12% गांवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के अंतर्गत कवर किया जा सका है। समिति यह भी नोट करती है कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में, वर्ष 2020-21 से ठोस और तरल प्रबंधन कार्य की प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी रही है। विभाग ने समिति को बताया है कि प्रारंभिक वर्षों के दौरान योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करने और प्रारंभिक स्तर पर तकनीकी जानकारी की कमी के कारण अनुमानित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। वर्ष 2020 और 2021 के दौरान कोविड-19 महामारी ने भी कार्यान्वयन की प्रगति को प्रभावित किया। तथापि, जैसा कि आश्वासन दिया गया है, समिति आशा करती है कि सभी गांवों में एसएलडब्ल्यूएम सुविधाओं का सृजन करने के लिए राज्यों के साथ नियमित रूप से सहभागिता, अनुवर्ती कार्रवाई और व्यापक रूप से समन्वय किया जाएगा ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2024-25 तक ओडीएफ प्लस के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(सिफारिश क्रम सं. 16)

गांवों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

2.17 समिति नोट करती है कि एसबीएम (जी) के चरण 2 के उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करके गांवों को 'देखने में स्वच्छ' बनाना है कि कम से कम गंदगी हो, पानी का ठहराव न्यूनतम हो और पाटन के रूप में प्लास्टिक के अपशिष्ट का संचय न हो। समिति का विचार है कि प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान स्वच्छता लाने के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। समिति नोट करती है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ग्राम पंचायतों को घर-घर जाकर अन्य अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक के अपशिष्ट को एकत्र करने की व्यवस्था करने, गांव में निर्मित / उपलब्ध सामान्य शेड में प्लास्टिक के अपशिष्ट को अलग करने और भंडारण की व्यवस्था करने, वेंडर्स को पुनर्नवीनीकरण योग्य प्लास्टिक के अपशिष्ट को बेचने और शेष प्लास्टिक के अपशिष्ट को ब्लॉक स्तर की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों (पीडब्ल्यूएमयू) में भेजने का कार्य सौंपा गया है। समिति यह भी नोट करती है कि पीडब्ल्यूएमयू की स्थापना के लिए प्रति ब्लॉक 16 लाख रुपये की निधियन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तथापि, अब तक देश के सभी ब्लॉकों में से 7% ब्लॉकों को ही पीडब्ल्यूएमयू से लैस किया गया है। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ओडिशा, तमिलनाडु और लद्दाख ने क्रमशः 72%, 42% और 48% ब्लॉकों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के सृजन में अच्छी प्रगति की है। प्लास्टिक के अपशिष्ट के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए, जो पर्यावरण को खतरा पैदा करता है और जिसका ढेर देखने में गंदा लगता है, समिति 'देखने में स्वच्छ गांवों' के उद्देश्य को साकार करने के लिए देश के सभी ब्लॉकों में पीडब्ल्यूएमयू की स्थापना में तेजी लाने की सिफारिश करती है। इसके अतिरिक्त, चूँकि घर-घर जाकर अपशिष्ट को एकत्रित करने और इसके पृथक्करण की सुविधा पहला कदम है, समिति उन गांवों में ब्लॉक / जिला स्तर के अधिकारियों पर ऐसी सुविधा के भौतिक सत्यापन सहित निगरानी तंत्र बनाने की सिफारिश करती है, जिन्हें ओडीएफ प्लस गांवों के रूप में सत्यापित किया गया है। समिति मौजूदा ओडीएफ प्लस गांवों के विवरण, जहां अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण की डोर-टू-डोर सुविधा का सृजन किया गया है, इस तरह के संग्रहण की आवृत्ति और इसके लिए मौजूद सत्यापन तंत्र से अवगत होना चाहेगी।

(सिफारिश क्रम सं. 17)

नई दिल्ली;

14 मार्च, 2023

23 फाल्गुन, 1944(शक)

परबतभाई सवाभाई पटेल

सभापति

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सोमवार, 20 फरवरी 2023 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही

सारांश

समिति की बैठक समिति कक्ष 'डी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1500 बजे से 1800 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर
5. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
6. श्री सुनील कुमार
7. श्री हंसमुखभाई एस.पटेल
8. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
9. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

10. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री चंदर मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री अजय कुमार सूद - निदेशक
3. श्री आर. एल. यादव - अपर निदेशक

साक्षी

जल शक्ति मंत्रालय-पेयजल और स्वच्छता विभाग

1. सुश्री विनी महाजन सचिव
2. श्री विकास शील अपर सचिव
3. सुश्री रिचा मिश्रा जेएस एंड एफए
4. श्री जितेंद्र श्रीवास्तव संयुक्त सचिव
5. श्री समीर कुमार संयुक्त सचिव
6. श्री मनोज सेठी जेएस एंड एफए
7. श्री रंजीत कुमार निदेशक
8. श्री प्रदीप सिंह निदेशक
9. श्री अजय कुमार निदेशक
10. सुश्री अनुपमा निदेशक
11. श्री कपिल चौधरी निदेशक
12. श्री करंजीत सिंह निदेशक
13. श्री ए मुरलीधरन निदेशक

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग के मौखिक साक्ष्य के लिए आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

/तत्पश्चात, पेयजल और स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।/

3. पेयजल और स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के बाद, सभापति ने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55(1) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात, सभापति ने प्रतिनिधियों से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विभाग को बजटीय आवंटन के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुति देने को कहा।

तत्पश्चात, विभाग के प्रतिनिधियों ने अनुदानों की मांगों (2023-24) के संदर्भ में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही दोनों प्रमुख योजनाओं, अर्थात् जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) की मुख्य विशेषताओं पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रकाश डाला।

4. विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुति देने के बाद, सदस्यों ने निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा:-

- (एक) वर्ष 2023-24 में बढ़ाए गए बजटीय आवंटन के उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय।
- (दो) गांवों में चल रहे घरेलू नल कनेक्शन के आंकड़ों में अंतर का मामला।
- (तीन) बजटीय आवंटन के कम उपयोग से संबंधित मुद्दे।
- (चार) जेजेएम के तहत गतिविधियों को करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 50 वर्षों के लिए राज्यों द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के लिए ब्याज मुक्त ऋण।
- (पांच) योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण में अनियमितता का मामला।
- (छह) अनुसूचित जाति/जनजाति जिले और आकांक्षी/फ्लोराइड प्रभावित जिलों का कवरेज।
- (सात) जेजेएम के संचालन और रखरखाव के लिए कोष के निर्माण से संबंधित मुद्दे।
- (आठ) एकल गड्ढे वाले शौचालयों को जुड़वां गड्ढों में बदलने से संबंधित मुद्दा।
- (नौ) घरेलू शौचालय के निर्माण की दरों में संशोधन।

5. तत्पश्चात, सभापति ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधियों को उनके द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण और सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए धन्यवाद किया। सभापति ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत करें जिनका तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सका है और जिन पर विस्तृत सांख्यिकीय उत्तरों की आवश्यकता है, शीघ्रतापूर्वक सचिवालय को भेजें।

6. साक्ष्य पूरा हुआ।

/तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए/

7. समिति की बैठक की कार्यवाही की शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।
तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की मंगलवार, 14 मार्च, 2023 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल – सभापति

सदस्य

लोक सभा

- 2 श्री विजय बघेल
- 3 श्री निहाल चन्द चौहान
- 4 श्री भागीरथ चौधरी
- 5 श्री गुमान सिंह दामोर
- 6 डॉ. के. जयकुमार
- 7 श्री धनुष एम. कुमार
8. श्री सुनील कुमार
9. श्री हंसमुखभाई एस.पटेल
10. श्रीमती अगाथा के. संगमा
11. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
12. श्री चन्दन सिंह
13. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

14. श्री अनिल प्रसाद हेगडे
15. श्रीमती मौसम नूर
16. श्री अरुण सिंह
17. संत बलबीर सिंह
18. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री चंद्र मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री अजय कुमार सूद - निदेशक
3. श्री राम लाल यादव - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने (एक) जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; (दो) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; और (तीन) भूजल: एक मूल्यवान किन्तु घटता हुआ संसाधन विषय के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचारार्थ चर्चा शुरू की। विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने अपनी ओर से इन प्रतिवेदनों को चालू बजट सत्र में संसद के दोनों ही सदनों में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वर्ष 2020-21 के दौरान एसबीएम (जी) - दो के अंतर्गत
जारी केंद्रीय सहायता अनुदान अंश

(रु. करोड़ में.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	अथशेष	रिलीज	ब्याजऔरअन्यप्राप्तियां	व्यय	जमा शेष राशि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15.43	5.45	7.07	0.28	4.02	8.78
आंध्र प्रदेश	393.47	1034.71	212.27	17.94	686.90	578.01
अरुणाचल प्रदेश	23.40	37.91	15.28	0.75	37.64	16.30
असम	558.85	639.00	276.81	143.07	916.41	142.47
बिहार	776.94	1228.39	88.56	33.76	797.87	552.85
छत्तीसगढ़	121.68	411.84	68.43	11.78	334.60	157.45
दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	8.57	1.77	1.65	0.01	0.00	3.43
गोवा	19.24	1.84	0.23	0.00	1.17	0.91
गुजरात	499.20	192.23	312.56	38.96	341.69	202.06
हरियाणा	220.75	175.95	80.60	14.40	73.10	197.85
हिमाचल प्रदेश	37.88	112.71	23.62	9.87	27.70	118.50
जम्मू एवं कश्मीर	64.89	122.72	24.89	4.34	126.39	25.56
झारखंड	429.67	727.09	153.31	49.64	502.66	427.38
कर्नाटक	227.75	560.53	126.31	63.46	315.64	434.65
केरल	137.01	183.32	103.73	0.94	212.03	75.95
लद्दाख	3.93	1.69	2.71	4.63	6.76	2.27
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	493.98	366.97	291.48	5.12	372.64	290.93
महाराष्ट्र	340.62	596.45	276.75	45.99	359.51	559.68
मणिपुर	61.29	28.23	17.51	0.43	36.53	9.65
मेघालय	226.59	36.33	65.41	1.85	55.91	47.69
मिजोरम	21.93	7.59	14.05	0.08	20.27	1.46
नागालैंड	57.80	16.62	22.17	0.00	38.77	0.03
ओडिशा	58.92	1320.89	58.92	22.85	479.86	922.80
पुदुचेरी	10.11	26.17	0.11	1.14	2.25	25.17
पंजाब	78.82	241.98	65.94	6.96	183.27	131.61
राजस्थान	569.78	714.08	229.26	7.18	820.64	129.88
सिक्किम	13.79	5.56	6.15	9.45	13.07	8.09
तमिलनाडु	294.67	231.59	162.89	124.80	271.93	247.36
तेलंगाना	262.16	179.86	46.86	3.96	214.17	16.51
त्रिपुरा	52.00	61.90	24.33	1.52	60.67	27.08
उत्तर प्रदेश	1790.48	491.89	800.32	205.26	975.05	522.42
उत्तराखंड	132.36	143.77	50.69	2.01	94.86	101.61
पश्चिम बंगाल	675.90	722.25	261.31	45.61	642.13	387.03
कुल	8679.84	10629.27	3892.18	878.07	9026.12	6373.41

वर्ष 2020-21 के दौरान एसबीएम(जी)-दो के अंतर्गत
जारी राज्य का अंश

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम	अथशेष	रिलीज	ब्याजऔरअन्यप्राप्तियां	व्यय	जमा शेष
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	887.61	0.00	0.53	291.35	596.78
अरुणाचल प्रदेश	28.48	10.20	0.61	26.79	12.51
असम	6.38	39.78	0.79	42.12	4.84
बिहार	191.46	568.17	0.00	457.90	301.73
छत्तीसगढ़	251.31	0.00	10.18	91.11	170.38
दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	48.69	157.99	5.86	78.10	134.44
हरियाणा	67.66	9.97	3.45	17.11	63.98
हिमाचल प्रदेश	9.30	0.00	0.81	2.19	7.92
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	13.89	0.00	11.70	2.18
झारखंड	536.94	22.06	13.47	217.00	355.47
कर्नाटक	292.09	0.00	30.23	70.65	251.68
केरल	1.93	2.83	0.69	3.30	2.15
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	184.94	58.45	2.59	63.66	182.33
महाराष्ट्र	468.99	(-)160.64*	61.71	58.90	311.17
मणिपुर	4.17	3.55	0.07	4.03	3.77
मेघालय	6.84	4.34	0.18	3.06	8.30
मिजोरम	0.05	0.92	0.01	0.88	0.10
नागालैंड	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00
ओडिशा	747.06	29.44	13.43	249.21	540.71
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.99	22.51	8.15	18.87	12.78
राजस्थान	359.57	86.43	3.04	362.45	86.59
सिक्किम	1.27	0.50	0.00	0.43	1.33
तमिलनाडु	59.38	29.28	71.28	33.25	126.69
तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	6.39	0.80	0.15	3.05	4.29
उत्तर प्रदेश	425.18	165.76	132.92	293.81	430.04
उत्तराखंड	4.54	2.72	0	7.26	0.00
पश्चिम बंगाल	76.53	100.00	2.23	155.25	23.51
कुल	4667.76	1171.96	362.38	2566.42	3635.67

*राज्यकोष में लौटाई गई निधि

वर्ष 2021-22 के दौरान एसबीएम(जी)-दो के अंतर्गत
जारी केंद्रीय सहायता अनुदान अंश

(रु. करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	अधशेष	रिलीज	ब्याजऔरअन्यप्राप्तियां	व्यय	जमा शेष
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	8.78	0.00	0.22	4.81	4.19
आंध्र प्रदेश	437.64	578.01	58.26	0.00	557.46	78.81
अरुणाचल प्रदेश	23.03	16.30	4.10	0.00	18.74	1.66
असम	513.56	142.47	256.78	0.17	229.75	169.66
बिहार	651.54	552.85	128.01	0.00	112.64	568.22
छत्तीसगढ़	207.58	157.45	0.00	5.46*	103.94	58.97
दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	5.75	3.43	0.00	0.13	0.72	2.84
गोवा	61.27	0.91	15.32	0.13	9.66	6.69
गुजरात	342.73	202.06	171.37	0.71	215.53	158.62
हरियाणा	181.80	197.85	29.95	0.00	88.58	139.22
हिमाचल प्रदेश	269.13	118.50	41.95	8.17*	43.61	125.00
जम्मू एवं कश्मीर	246.98	25.56	120.00	0.00	63.50	82.06
झारखंड	148.51	427.38	0.00	4.70*	306.83	125.25
कर्नाटक	0.00	434.65	0.00	9.01*	246.19	197.47
केरल	34.68	75.95	5.66	0.27	71.91	9.97
लद्दाख	14.25	2.27	3.56	0.26	3.53	2.56
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	668.96	290.93	334.48	1.96	337.21	290.16
महाराष्ट्र	1372.73	559.68	0.00	31.69*	127.20	464.17
मणिपुर	48.34	9.65	12.09	0.08	9.64	12.18
मेघालय	165.71	47.69	36.56	0.00	41.11	43.14
मिजोरम	17.62	1.46	13.22	0.00	9.19	5.49
नागालैंड	18.02	0.03	9.01	0.00	4.53	4.51
ओडिशा	0.00	922.80	0.00	1.22	123.11	800.91
पुदुचेरी	6.89	25.17	0.00	0.56	2.11	23.62
पंजाब	52.87	131.61	0.00	0.00	39.58	92.03
राजस्थान	551.85	129.88	275.93	2.94	225.28	183.48
सिक्किम	19.73	8.09	4.49	0.09	5.49	7.18
तमिलनाडु	26.29	247.36	0.00	46.82*	108.40	185.78
तेलंगाना	180.67	16.51	0.00	1.19	7.59	10.12
त्रिपुरा	84.19	27.08	17.14	0.02	14.48	29.76
उत्तर प्रदेश	1825.85	522.42	370.59	164.55*	665.85	391.72
उत्तराखंड	78.76	101.61	14.25	-0.64	91.98	23.24
पश्चिम बंगाल	645.08	387.03	135.45	18.98*	270.22	271.24
कुल	8902.01	6373.41	2058.15	298.70	4160.35	4569.90

*जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों से योजना के राज्य एकल नोडल खाते में लौटाई गई निधियां

वर्ष 2021-22के दौरान एसबीएम(जी)-दो के अंतर्गत
जारी राज्य का अंश

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम	अयशेष	रिलीज	ब्याजऔरअन्यप्राप्तियां	व्यय	जमा शेष
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	596.78	79.11	0.00	623.97	51.92
अरुणाचल प्रदेश	12.51	1.37	10.71*	7.95	16.63
असम	4.84	18.11	0.10	14.02	9.03
बिहार	301.73	85.34	0.00	45.73	341.34
छत्तीसगढ़	170.38	0.00	3.64	68.36	105.66
दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	10.21	0.00	5.84	4.37
गुजरात	134.44	114.22	0.01	139.53	109.14
हरियाणा	63.98	62.98	0.00	14.19	112.76
हिमाचल प्रदेश	7.92	2.97	0.91	4.23	7.57
जम्मू एवं कश्मीर	2.18	13.33	0.00	6.45	9.07
झारखंड	355.47	17.71	0.00	126.25	246.93
कर्नाटक	251.68	0.00	3.44	142.84	112.29
केरल	2.15	4.90	0.50	6.73	0.82
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	182.33	222.99	2.44	226.45	181.31
महाराष्ट्र	311.17	0.00	11.78*	89.83	233.11
मणिपुर	3.77	1.34	0.00	3.77	1.34
मेघालय	8.30	4.06	0.00	3.95	8.41
मिजोरम	0.10	2.18	0.00	1.68	0.59
नागालैंड	0.00	1.18	0.00	0.68	0.51
ओडिशा	540.71	0.00	0.00	81.43	459.29
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	12.78	30.45	0.00	30.45	12.78
राजस्थान	86.59	183.95	1.96	150.18	122.32
सिक्किम	1.33	0.50	0.01	0.61	1.46
तमिलनाडु	126.69	0.00	29.52*	34.66	121.55
तेलंगाना	0.00	20.30	0.00	0.00	20.30
त्रिपुरा	4.29	1.90	0.00	1.39	4.81
उत्तर प्रदेश	430.04	247.06	105.78*	396.57	386.32
उत्तराखंड	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00
पश्चिम बंगाल	23.51	209.10	28.73*	124.67	136.49
कुल	3635.67	1336.87	199.53	2359.95	2818.12

*जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों से योजना के राज्य एकल नोडल खाते में लौटाई गई निधियां

वर्ष 2022-23 के दौरान एसबीएम(जी)-दो के अंतर्गत
जारी केंद्रीय सहायता अनुदान अंश

(रु. करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	अथशेष	रिलीज	ब्याजऔरअन्यप्राप्तियां	व्यय	जमा शेष
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.83	4.19	0.00	0.00	0.84	3.35
आंध्र प्रदेश	676.79	78.81	0.00	0.00	42.06	36.75
अरुणाचल प्रदेश	29.43	1.66	14.72	0.26	7.39	9.25
असम	495.71	169.66	90.52	0.00	145.09	115.09
बिहार	1544.86	568.22	325.28	0.00	626.66	266.84
छत्तीसगढ़	355.07	58.97	88.77	0.00	87.85	59.88
दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	1.63	2.84	0.00	0.00	0.90	1.94
गोवा	34.38	6.69	7.99	0.00	9.77	4.92
गुजरात	284.68	158.62	0.00	0.00	64.56	94.05
हरियाणा	202.77	139.22	0.00	0.00	19.12	120.10
हिमाचल प्रदेश	198.07	125.00	0.00	0.00	51.47	73.53
जम्मू एवं कश्मीर	494.20	82.06	116.79	0.00	82.28	116.58
झारखंड	300.64	125.25	0.00	0.00	78.53	46.72
कर्नाटक	665.34	197.47	0.00	0.00	53.37	144.10
केरल	308.04	9.97	74.00	0.00	6.82	77.15
लददाख	17.30	2.56	0.00	0.00	1.10	1.46
लक्षद्वीप	7.74	0.00	1.94	0.00	0.00	1.94
मध्य प्रदेश	411.14	290.16	81.78	0.00	238.68	133.26
महाराष्ट्र	1740.11	464.17	0.00	108.13*	62.25	510.05
मणिपुर	51.45	12.18	12.86	0.00	12.01	13.03
मेघालय	92.13	43.14	0.00	0.00	26.16	16.98
मिजोरम	19.67	5.49	4.92	0.00	5.48	4.93
नागालैंड	39.44	4.51	19.72	0.00	14.26	9.97
ओडिशा	0.00	800.91	0.00	63.38*	332.91	531.38
पुदुचेरी	37.80	23.62	0.00	0.00	10.79	12.83
पंजाब	168.19	92.03	0.00	0.00	12.86	79.18
राजस्थान	624.90	183.48	288.78	0.00	265.90	206.36
सिक्किम	23.17	7.18	5.79	0.00	2.18	10.79
तमिलनाडु	421.10	185.78	0.00	0.00	86.39	99.39
तेलंगाना	542.94	10.12	0.00	0.00	6.25	3.87
त्रिपुरा	128.29	29.76	28.28	0.00	22.52	35.51
उत्तर प्रदेश	1529.38	391.72	687.87	0.31	647.77	432.14
उत्तराखंड	92.61	23.24	14.14	0.03	26.65	10.75
पश्चिम बंगाल	848.16	271.24	193.97	2.86	275.45	192.62
कुल	12387.96	4569.90	2058.12	174.97	3326.32	3476.67

*जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों से योजना के राज्य एकल नोडल खाते में लौटाई गई निधियां

वर्ष 2022-23 के दौरान एसबीएम(जी)-दो के अंतर्गत
जारी राज्य का अंश

(रु. करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अथशेष	रिलीज	ब्याजऔरअन्यप्राप्तियां	व्यय	जमा शेष
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	51.92	0.00	0.00	27.41	24.51
अरुणाचल प्रदेश	16.63	3.42	0.03	4.97	15.11
असम	9.03	27.98	0.00	16.12	20.89
बिहार	341.34	144.97	0.00	417.77	68.54
छत्तीसगढ़	105.66	59.18	0.00	58.57	106.27
दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	4.37	5.33	0.00	6.51	3.19
गुजरात	109.14	0.00	0.00	42.94	66.20
हरियाणा	112.76	0.00	6.42*	12.75	106.43
हिमाचल प्रदेश	7.57	0.00	0.00	5.72	1.85
जम्मू एवं कश्मीर	9.07	1.94	0.00	9.14	1.87
झारखंड	246.93	0.00	0.70	52.35	195.28
कर्नाटक	112.29	0.00	13.64*	35.58	90.35
केरल	0.82	49.33	0.00	4.55	45.60
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	181.31	54.52	0.00	159.12	76.71
महाराष्ट्र	233.11	0.00	64.36*	41.50	255.97
मणिपुर	1.34	0.00	0.00	1.33	0.01
मेघालय	8.41	0.00	0.00	2.91	5.50
मिजोरम	0.59	0.55	0.10	0.61	0.63
नागालैंड	0.51	2.19	0.00	1.58	1.12
ओडिशा	459.29	0.00	115.11*	221.94	352.46
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	12.78	0.00	22.62*	8.57	26.83
राजस्थान	122.32	192.52	0.00	177.27	137.57
सिक्किम	1.46	0.64	0.22	0.24	2.08
तमिलनाडु	121.55	0.00	0.00	57.59	63.96
तेलंगाना	20.30	0.00	0.00	4.17	16.13
त्रिपुरा	4.81	3.14	0.00	2.50	5.45
उत्तर प्रदेश	386.32	203.69	0.00	431.84	158.17
उत्तराखंड	0.00	1.57	0.07	1.57	0.07
पश्चिम बंगाल	136.49	129.32	1.91	183.63	84.09
कुल	2818.12	880.29	224.26	1990.75	1931.92

*जिलों/ब्लॉकों/ग्रामपंचायतों से योजना के राज्य एकल नोडल खाते में लौटाई गई निधियां

Vini Mahajan
Secretary
Department of Drinking Water and Sanitation
Ministry of Jal Shakti



Shailesh Kumar Singh
Secretary
Ministry of Rural Development

F.No. S-18011/25/2022-SBM-V-DDWS-Part(6)

18th January, 2023

Dear Chief Secretary,

As you are aware, under "Azadi ka Amrit Mahotsav" initiative of Government of India, many campaigns are being undertaken to commemorate 75 years of Independent India. The Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS) has initiated a Campaign for safe disposal of faecal sludge from rural households. Over 2.3 crore single pit type toilets have been identified in the country under this campaign, which need to be converted into twin pit type toilet.

2. Twin pit toilets have been promoted as these allow on-site and safe disposal of faecal sludge, which also prevents the ground water contamination. It is an efficient mechanism for treating the low quantity of waste generated from the rural households, by *in situ* treatment and converting the faecal sludge directly into manure (Sona Khad) which can be used in agriculture. The Twin Pit type toilets have no requirement for Faecal Sludge Management (FSM) chain viz., mechanized emptying, transportation, or treatment at STP or FSTP.

3. Single Pit type toilets can be converted into twin-pits by construction of an **additional pit or liquid waste chamber (soak pit/leach pit) with a junction along with the existing pit**, with minimum effort and expenses.

4. The construction of liquid waste chamber for individual beneficiaries has been included under Mahatma Gandhi NREGS for the purpose. Funds available under the tied grant of the Fifteenth Finance Commission may also be utilized in convergence.

5. You are requested to ensure that all single pit toilets identified in your State are converted into twin pit toilets at the earliest.

With best regards,

(Vini Mahajan)
Secretary

Ministry of Drinking Water and Sanitation

Yours sincerely,

(Shailesh Kumar Singh)
Secretary

Ministry of Rural Development

To

Chief Secretary
All States/UTs

*पत्र का हिन्दी संस्करण उपलब्ध नहीं है।